



मध्यप्रदेश शासन



डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश



श्री नारायण सिंह कुशवाह
मंत्री, मध्यप्रदेश

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2023-24

सामाजिक ढायाय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण विभाग



मध्यप्रदेश शासन



प्रशासकीय प्रतिवेदन

2023–2024



सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग



माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विभागीय दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सिंगल विलक पेंशन वितरण कार्यक्रम में



माननीय विभागीय मंत्रीजी श्री नारायण सिंह कुशवाह कार्यभार ग्रहण करते हुए

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

2023–2024

मंत्रालय

माननीय मंत्री

श्री नारायण सिंह कुशवाह

प्रमुख सचिव

श्री सचिन सिन्हा (IAS)

उप सचिव

श्री शीलेन्द्र सिंह (IAS)

विभागाध्यक्ष

आयुक्त

डॉ. रामराव भोंसले (IAS)

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संचालनालय

अनुक्रमणिका

भाग — एक	पृष्ठ
1. सामान्य जानकारी	1
2. विभाग की पृष्ठभूमि.....	2
3. विभाग की प्रशासकीय संरचना	3
4. विभाग के दायित्व.....	5
5. विभाग अंतर्गत कार्यरत विभिन्न कार्यालय	8
6. विभागीय योजना एवं कार्यक्रम.....	10
भाग — दो	
7. बजट प्रावधान, व्यय एवं जेण्डर बजट.....	13
भाग — तीन	
8. विभागीय योजनाएँ व कार्यक्रमों का विवरण	
● दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यक्रम.....	18
● सामाजिक सहायता कार्यक्रम.....	23
● समाज रक्षा कार्यक्रम	32
● नशामुक्ति कार्यक्रम	36
● भिक्षावृत्ति एवं ट्रांसजेण्डार कार्यक्रम	38
● कलापथक एवं पुरस्कार योजना	40
9. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम—2010	42
10. दिव्यांगजन हेतु राज्य आयुक्त.....	43
11. मध्यप्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग.....	45
12. परशुराम कल्याण बोर्ड	46
भाग — चार	
13. सामान्य प्रशासनिक विषय	48
● संसदीय कार्य	
● सूचना का अधिकार	
● स्वीकृत पद, पदोन्नति, नियुक्ति, समयमान वेतनमान, अनुकम्पा नियुक्ति, सीएम हेल्पलाईन, विभागीय जांच न्यायालयीन प्रकरण	

14. उपलब्धियां एवं विभिन्न गतिविधियाँ.....	52
15. सारांश	58
16. सूची	
i. दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत् शासकीय संस्थाएं.....	59
ii. मध्यप्रदेश भिक्षावृति निवारण अधिनियम के तहत प्रदेश शासकीय संस्था	59
iii. दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत राज्य अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था	60
iv. दिव्यांगता के क्षेत्र में जिला निराश्रित निधि/केन्द्रीय अनुदान /अन्य स्त्रोत से संचालित संस्था	61
v. अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित वरिष्ठ आश्रम.....	63
vi. केन्द्रीय अनुदान से संचालित नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र (IRCA) अशासकीय संस्था	67
vii. केन्द्रीय अनुदान से संचालित आउटरीच एण्ड ड्राप इन सेंटर (ODIC)	68
viii. केन्द्रीय अनुदान से संचालित कम्युनिटी बेर्सड पियरलेड सेंटर (CPLI)	68
ix. DDAC (IRCA, CPLI , ODIC एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएँ देने के लिये) सूची.....	68
x. जिले के संयुक्त संचालक तथा उप संचालक कार्यालय के दूरभाष नम्बर	69

भाग - 1

मध्यप्रदेश एवं सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामान्य जानकारी

मध्यप्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल

(हजार वर्ग कि.मी.) 308

A. प्रशासन

1. संचालनालय	1
2. संभागीय कार्यालय	7
3. जिला स्तरीय उप संचालक कार्यालय	45
4. दिव्यांग कल्याण की शासकीय संस्थाएँ	20
5. दिव्यांग कल्याण की राज्य अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाएँ	36
6. दिव्यांगता के क्षेत्र में केन्द्रीय अनुदान/निराश्रित निधि/अन्य स्त्रोतों से संचालित संस्थाएँ	54
7. भिक्षुक गृह	1
8. वरिष्ठ आश्रम	79
9. नशामुकित एवं पुनर्वास केन्द्र (IRCA)	14

B. प्रशासकीय इकाई (शासकीय डायरी अनुसार)

1. संभाग	10
2. जिले	55
3. विकास खण्ड/जनपद	313
4. आदिवासी विकास खण्ड	89
5. कुल ग्राम	59,573
6. कुल ग्राम पंचायतें	23,169
7. कुल नगर निगम	16
8. कुल नगर पालिका	94
9. कुल नगर परिषद	298

C. जनसंख्या (जनगणना 2011 अनुसार) (संख्या लाख में)

1. कुल जनसंख्या	726.27
2. पुरुष	376.12
3. महिला	350.15
4. ग्रामीण	525.57
5. शहरी	200.70
6. अनुसूचित जाति	113.42
7. अनुसूचित जनजाति	153.17
8. वृद्धजन	57.13
9. कल्याणी	21.49
10. दिव्यांगजन	15.51
11. ट्रांसजेण्डर	0.29

विभाग की पृष्ठभूमि

मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक 01.11.1956 से पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल का गठन हुआ।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का 7 बार विघटन हुआ है जिसके तहत दायित्व अन्य विभागों को तालिका अनुसार सौपे गये हैं :—

क्रमांक	वर्ष	पुनर्गठन का स्वरूप
1	1961	विभाग से सहकारिता विभाग की योजनाओं को हटाया जाकर पृथक से सहकारिता संचालनालय का गठन हुआ।
2	1977	विभाग से खेलकूद एवं युवक कल्याण को हटाया जाकर पृथक रूप से संचालनालय खेलकूद एवं युवक कल्याण गठित हुआ।
3	1986	विभाग से महिला एवं बाल विकास को हटाया जाकर पृथक रूप से संचालनालय महिला एवं बाल विकास गठित हुआ।
4	1994	संचालनालय से प्रौढ़ शिक्षा योजना, स्कूल शिक्षा विभाग को अंतरित की गई।
	2005	पंचायत एवं समाज कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल का नाम परिवर्तित कर पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय रखा गया।
5	2007	नवीन पंचायतराज संचालनालय का गठन होने से सामाजिक न्याय विभाग से पंचायतराज पृथक हो गया।
6	2008	विभाग से जिला अंकेक्षक एवं उप अंकेक्षकों की सेवाएं एवं अंकेक्षण कार्य स्थानीय निधि संपरीक्षा वित्त विभाग को सौंपा गया।
7	2010	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन का दायित्व सामाजिक न्याय संचालनालय से महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा जाकर सुधारात्मक सेवा की 26 संस्थाओं को मय अमले सहित महिला एवं बाल विकास विभाग को अंतरित किया गया।
8	2012	मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का गठन।
9	2013	विभाग का नाम सामाजिक न्याय से परिवर्तित कर सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण किया गया।
10	2023	विभाग का नाम सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण से परिवर्तित कर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग किया गया।

विभाग की प्रशासकीय संरचना

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में प्रशासकीय नियंत्रण एवं नियमन के लिए राज्य मंत्रालय में सचिवालय स्तर पर प्रमुख सचिव, उप सचिव, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य लिपिकीय अमला कार्यरत है। यह अमला विभाग की नीतियों के निर्धारण तथा नियमन का कार्य करता है।

विभाग में संचालनालय स्तर पर आयुक्त/संचालक, अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक प्रथम श्रेणी, सहायक संचालक द्वितीय श्रेणी एवं परिवीक्षा अधिकारी के साथ अन्य लिपिकीय वर्ग के पद स्वीकृत हैं। संचालनालय का अमला विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ मैदानी अमले पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

वर्तमान में संभागीय मुख्यालय के सात संभागों में क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, सागर एवं रीवा में संयुक्त संचालक एवं शेष जिलों में उप संचालक सामाजिक न्याय अपने उपलब्ध अमले के साथ विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहे हैं।

विभाग के अंतर्गत 1. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 79 के तहत आयुक्त निःशक्तजन कल्याण कार्यालय संचालित है साथ ही 2. मध्यप्रदेश विकलांग कल्याण तथा विकास समिति एवं 3. जिला स्तर पर दीनदयाल अन्त्योदय मिशन समिति संचालित है। सामान्य वर्ग के कल्याण के लिए योजनाओं के निर्माण और अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने हेतु 4. मध्यप्रदेश सामान्य वर्ग कल्याण आयोग का गठन एवं 5. ब्राह्मण वर्ग से जुड़ी गतिविधियों के प्रोत्साहन एवं समग्र कल्याण के लिए परशुराम कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का संगठनात्मक ढाँचा

(स्वीकृत पद)

शासन स्तर

माननीय मंत्री

प्रमुख सचिव

उप सचिव

अनुभाग अधिकारी

विभागाध्यक्ष स्तर

आयुक्त

मिशन संचालक
मध्यप्रदेश समग्र
सामाजिक सुरक्षा
मिशन
↓
उप मिशन
संचालक
3 (2 रिक्त)

अपर संचालक
1 (रिक्त)

संयुक्त संचालक
2 (2 भरे)

आयुक्त
निःशक्तजन
1 (रिक्त)

म.प्र. राज्य सामान्य वर्ग
कल्याण आयोग
उप संचालक
4 (2 भरे)
सहायक संचालक
11 (7 भरे)
सहायक संचालक संवर्ग
7 (2 भरे)
सहायक सांचियकी
अधिकारी
2 (रिक्त)
परिवीक्षा अधिकारी
2 (रिक्त)

संभाग स्तर

संभागीय संयुक्त संचालक— 7 (1 भरा)

जिला स्तर

उप संचालक—45 (4 भरे)

सहायक संचालक —27 (12 भरे)

सहायक संचालक तकनीकी संवर्ग—2 (रिक्त)

प्राचार्य / अधीक्षक शासकीय संस्थाएं—21 (7 भरे)

संभागीय व्यवस्थापक—6 (रिक्त)

व्याख्याता—48 (20 भरे)

परिवीक्षा अधिकारी—10 (रिक्त)

नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत

समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी—427 (314 भरे)

कम्प्यूटर ऑपरेटर सह सहायक ग्रेड 3—427 (रिक्त)

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिरण विभाग के दायित्व

समाज के गरीब, कमजोर, निर्धन, निराश्रित, वरिष्ठजनों, कल्याणी (विधवाओं), दिव्यांगजनों, नशापीड़ितों एवं ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को मुख्य धार में लाने हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। विभाग द्वारा शासकीय संस्थाओं के साथ-साथ इस क्षेत्र में कार्यरत् स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देने व इनकी जनभागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं :—

दिव्यांगजन सशक्तिकरण

दिव्यांग कल्याण योजनान्तर्गत दिव्यांग बालक/बालिकाओं/व्यक्तियों के लिये पात्रतानुसार शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, आरक्षण, पुनर्वास कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, शिक्षा प्रोत्साहन, परिचय पत्र, आवास सहायता, पेंशन योजनाएं, आर्थिक सहायता, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय किये जा रहे हैं। दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक एवं शासकीय संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

सामाजिक सहायता

प्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन, वृद्ध, दिव्यांगजनों के साथ-साथ कल्याणी (विधवाओं) और परित्यक्त, अविवाहित महिलाओं को सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान के लिये पेंशन योजनाएं, कन्या विवाह/कल्याणी विवाह सहायता, परिवार सहायता योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

समाज रक्षा

माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम—2007 एवं नियम 2009 का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है—निराश्रित, उपेक्षित वरिष्ठजनों को संरक्षण, भरण—पोषण, चिकित्सीय परीक्षण, उपचार एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु वरिष्ठ आश्रमों, वरिष्ठजनों हेतु हेल्प लाईन का संचालन।

मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973 की धारा 1(3) के तहत शासन निर्देश क्रमांक 205/2567/2017/26-2 दिनांक 03.02.2018 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में उक्त अधिनियम प्रभावशील है। वर्तमान में अधिनियम की धारा 12(1) 13(1) के तहत प्रदेश के जिला इंदौर में भिक्षुक प्रवेश केन्द्र एवं प्रमाणित संस्था स्थापित एवं संचालित है। योजना अन्तर्गत भिक्षुकों को अभिरक्षा में लेकर उन्हें न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय के निर्णय अनुसार विचाराधीन एवं दंडित भिक्षुकों को भिक्षुक गृह में रखा जाता है।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अन्तर्गत ऐसे वयस्क अपराधियों को जो आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित न हों, उन्हें कारावास के स्थान पर सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने की कार्यवाही की जाती है।

उभयलिंगी व्यक्ति(अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 तथा मध्यप्रदेश उभयलिंग व्यक्ति(अधिकारों का संरक्षण) नियम 2021 प्रभावशील किया गया है, जिसकी धारा—4,5,6 अंतर्गत पहचान प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं।

अन्य कार्यक्रम

अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत नशामुकित केन्द्र, नशामुकित अभियान, कलापथक दल, जागरूकता कार्यक्रम, ट्रांसजेण्डर कल्याण, विभिन्न स्तर पर पुरस्कार इत्यादि संचालित है।

विभाग अंतर्गत प्रचलित अधिनियम/नियम

अधिनियम	नियम
दिव्यांगजन	
<ul style="list-style-type: none"> • दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 • द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ ऑटिज्म, सेरैब्रल पालसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट 1999 	<ul style="list-style-type: none"> ■ मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 —
वरिष्ठजन	
<ul style="list-style-type: none"> • माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 	<ul style="list-style-type: none"> ■ मध्यप्रदेश माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण नियम 2009
ट्रांसजेण्डर (उभयलिंगी) व्यक्ति	
<ul style="list-style-type: none"> • ट्रांसजेण्डर व्यक्ति(अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 	<ul style="list-style-type: none"> ■ मध्यप्रदेश ट्रांसजेण्डर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2021
अन्य	
<ul style="list-style-type: none"> • अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 • मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973 • मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 एवं संशोधित अधिनियम 2006 	<ul style="list-style-type: none"> ■ मध्यप्रदेश अपराधी परिवीक्षा नियम 1960 ■ मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण नियम 1977 ■ मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 2013 एवं संशोधित नियम 2020

विभाग अंतर्गत कार्यरत विभिन्न कार्यालय

आयुक्त निःशक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश

आयुक्त, निःशक्तजन, मध्यप्रदेश को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा—82 के प्रावधान अनुसार सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। आयुक्त निःशक्तजन, मध्यप्रदेश को उपरोक्त अधिनियम में दिव्यांगजनों के हितों के संरक्षण के संबंध में अधिकार प्रदत्त किए गए हैं।

म.प्र. राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग

सामान्य वर्ग के हितार्थ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 296 / 3600 / 2007 / एक(1), दिनांक 28.01.2008 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1—15 / 2013 / 16—1 / 754, दिनांक 10.09.2021 द्वारा श्री शिव कुमार चौबे वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष है।

परशुराम कल्याण बोर्ड

ब्राह्मण वर्ग से जुड़ी गतिविधियों के प्रोत्साहन एवं समग्र कल्याण के लिए सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के आदेश क्रमांक 961 / 1293518 / 2023 / 26—2, दिनांक 20.06.2023 द्वारा परशुराम कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के आदेश 2837 / 1293518 / 2023 / 26—2, दिनांक 09.10.2023 द्वारा श्री विष्णु राजौरिया को बोर्ड का अध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्य नियुक्त किये गये हैं।

मध्यप्रदेश विकलांग कल्याण तथा विकास समिति

मध्यप्रदेश विकलांग कल्याण तथा विकास समिति रजिस्ट्रार फार्म एण्ड सोसायटी अधिनियम, 1973 से पंजीबद्ध स्वैच्छिक संस्था है। इस समिति के अंतर्गत मध्यप्रदेश के सामान्य वर्ग के दिव्यांगजनों हेतु राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद/नई दिल्ली द्वारा दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए रियायती ब्याज दर पर शिक्षा हेतु ऋण, नवयुवक युवतियों के लिए युवा स्वावलम्बन योजना, व्यावसायिक/ट्रेनिंग कोर्स ऋण आबंटन हेतु बिना कोलेटरल गारन्टी के स्वरोजगार व उच्च शिक्षा के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रावधान है।

दीनदयाल अन्त्योदय मिशन समिति

दीनदयाल अन्त्योदय मिशन समिति रजिस्ट्रार फार्म एण्ड सोसायटी अधिनियम, 1973 से पंजीबद्ध संस्था है। यह समिति प्रदेश के प्रत्येक जिले में गठित है। इस समिति के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग, दिव्यांग समग्र पुनर्वास की कार्यवाही, सामूहिक विवाह का आयोजन इत्यादि कार्यवाहियाँ की जाती हैं।

महत्वपूर्ण दिवस

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रति वर्ष निम्न दिवसों का आयोजन किया जाता है :—

■ मद्य निषेध संकल्प दिवस	30 जनवरी
■ अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध दिवस	31 मई
■ अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस	26 जून
■ अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस	1 अक्टूबर
■ मद्य निषेध सप्ताह	2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर
■ विश्व दिव्यांग दिवस	3 दिसम्बर

विभागीय योजना एवं कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
4. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

राज्य शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम

1. समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
2. छ: वर्ष से अधिक आयु के मानसिक रूप से अविकसित एवं बहु विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता
3. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
4. मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना
5. मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना
6. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
7. मुख्यमंत्री निकाह योजना
8. मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना
9. निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना
10. दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजना
11. दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना
12. दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना
13. शत-प्रतिशत श्रवण एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना
14. दिव्यांग छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा मे दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना
15. दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति
16. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

17. दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय एवं शल्य क्रिया उपचार सहायता
18. कलापथक दल—ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का प्रचार—प्रसार, जागरूकता के कार्यक्रम
19. वरिष्ठ आश्रमों का संचालन / शतायु सम्मान

अन्य कार्यक्रम

1. मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता योजना
2. मद्यपान तथा नशीली दवा दुरुपयोग निवारण केन्द्रीय अनुदान योजना तथा जन—जागरूकता कार्यक्रम
3. भिक्षुक केन्द्र का संचालन
4. जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों का संचालन
5. राष्ट्रीय न्यास द्वारा संचालित योजनाएं
6. दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डी.डी.आर.एस.)
7. एडिप योजना
8. सिपडा योजना
9. सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign)
10. अवेयरनेस जनरेशन एण्ड पब्लिसिटी स्कीम (ए.जी.पी.)
11. अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY)—‘वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम’ (IPSRc)
12. वयोश्री योजना—(वरिष्ठजनों हेतु सहायक उपकरणों का वितरण)
13. नशामुक्ति कार्यक्रम

विभागीय पुरस्कार

1. इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार
2. महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना
3. विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार
4. नशामुक्त ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना

भाग - 2

बजट प्रावधान एवं व्यय वर्ष 2023-24

(राशि लाख में)

शीर्ष/योजना	कुल प्रावधान	व्यय माह दिसम्बर 2023 तक	प्रतिशत
मांग संख्या 34-2235			
आयोजना (9999)	9365.41	5374.59	57.39
योग (9999)	9365.41	5374.59	57.39
मांग संख्या 34-(2235 + 4235) आयोजना			
0101, 0701 एवं 0801— राज्य आयोजना सामान्य	292018.46	218647.86	74.87
0102, 0702 एवं 0802— आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	81113.13	64562.50	79.60
0103, 0703 एवं 0803— अनुसूचित जाति उपयोजना	66704.35	52324.27	78.44
योग	439835.94	335534.63	76.28
कुल योग	449201.35	340909.22	75.89

जेण्डर बजट

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में पात्रतानुसार महिलाओं को लाभांवित किया जाता है, तथापि विभाग द्वारा निम्न योजनाएं मुख्यतः महिलाओं के लिए संचालित हैं :—

- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
- मुख्यमंत्री निकाह योजना
- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना
- समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (वृद्ध, विधवा, अविवाहिता, परित्यक्त, दिव्यांग महिलाओं हेतु)
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन

उक्त योजनाओं में शत-प्रतिशत राशि बजट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

विभाग संबंधित जेंडर मुद्दे, जेंडर गेप, जेंडर विषयक प्रमुख मानकों (Index) की स्थिति

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 से जेंडर मुद्दों पर कार्य किया जा रहा है। इन कार्यों में कोई गेप नहीं है।

जेंडर मुद्दों पर विभागों द्वारा पहल (initiative)

विभाग द्वारा जेंडर मुद्दों संबंधी संचालित योजनाओं में शत-प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत प्रावधान महिलाओं हेतु किया जाना सुनिश्चित किया गया है। विभाग द्वारा मुख्यतः विवाह, छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

केस स्टडी एवं गुड प्रेक्टिस

विभाग द्वारा अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल भोपाल के माध्यम से व्यवहार्यता (feasibility) केस स्टडी कराई गई है।

आगामी रणनीति

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में जेण्डर मुद्दों पर द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी अंतर्गत वर्गीकृत योजनाओं में महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिये विभाग द्वारा आवश्यक प्रयास किये जायेंगे।

प्रमुख उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

वित्त विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं को तीन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम श्रेणी शत-प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी 40 प्रतिशत एवं तृतीय श्रेणी में 30 प्रतिशत प्रावधान वाली योजनाओं को शामिल किया गया है। विभाग द्वारा श्रेणीवार जेप्डर बजट दिनांक 31.12.2023 की स्थिति में निम्नानुसार है :—

(राशि लाख में)

योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान वर्ष 2023-24	जेंडर बजट का प्रतिशत	व्यय वर्ष 2023-24		हितग्राही वर्ष 2023-24	
			महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
प्रथम श्रेणी (100 प्रतिशत)						
6692—मुख्यमंत्री निकाह योजना	1200.00	100	1134.08	0	2061	0
6710—मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	32000.00	100	29297.52	0	52345	0
5863—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	39242.09	100	29117.65	0	546920	0
द्वितीय श्रेणी (40 प्रतिशत)						
5859—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	7302.92	32	1732.62	3681.83	32470	69000
7084—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	5901.20	70	622.99	267.00	3115	1335
8786—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	114353.32	46	39025.46	45812.15	724536	850543
9142—समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	216613.99	48	84538.71	91583.60	1587978	1720310
0073—बहुविकलांग को आर्थिक सहायता	5027.76	38	1581.97	2581.12	30860	50350
0075—अंध मूक बधिरों को वृत्तियाँ	500.00	40	7.20	10.80	-	-
6693—कन्या अभिभावक पेंशन योजना	2500.00	41	697.73	1004.06	28719	41328
7083—अंत्येष्टि योजना	27.29	70	11.82	5.07	394	169
तृतीय श्रेणी (30 प्रतिशत)						
6694—कृत्रिम अंग उपकरण वितरण योजना	186.41	30	32.45	75.70	1109	2587
कुल	424855		187800.20	145021.33	3010507	2735622

विभागीय संचालित योजनाओं में बजट एवं व्यय की जानकारी वर्ष 2023-24

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2023-24	वित्त विभाग द्वारा कटौत्रा की गई राशि	जारी आवंटन	व्यय दि. 31.12.23	प्रावधान विरुद्ध व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	{0075}	अंध मूक बाधिरे को वृत्तियाँ	500.00	0.00	258.78	16.87	3.37
2	{0073}	अंध मूक बाधिर शालाओं को अनुदान बहु विकलांग को सहायता	1170.00 5027.76	0.00 1005.55	853.97 4163.09	702.68 4163.09	60.06 82.80
3	{4114}	विश्व विकलांग वर्ष	27.28	5.45	21.50	1.99	7.29
4	{8786}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	114353.32	22870.67	84837.97	84837.97	74.19
5	{7084}	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	5901.20	1180.24	889.99	889.99	15.08
6	{5863}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	39242.09	7848.42	29122.34	29117.65	74.20
7	{5859}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	7302.92	1460.58	5414.45	5414.45	74.14
8	{6710}	मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना	32000.00	2000.00	29361.83	29297.52	91.55
9	{9142}	समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन	216613.99	38322.80	176122.31	176122.31	81.31
10	{6306}	आयुक्त निशक्तजन कार्यालय वेतन	63.42	4.47	43.91	31.05	48.96
11	{5259}	इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार	11.99	2.40	0.00	0.00	0.00
12	{6554}	समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	140.56	6.91	98.75	76.45	54.39
13	{0079}	दृष्टि, श्रवण बाधि. शालायें तथा संस्थायें	1952.34	41.63	1304.81	1191.61	61.03
14	{6677}	भिक्षुक गृह की स्थापना	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
15	{5669}	मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
16	{9545}	विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	151.00	30.20	0.00	0.00	0.00
17	{6690}	माता पिता भरण पोषण योजना	8.30	1.66	6.64	0.42	5.06
18	{6691}	दर्धीयि पुरस्कार योजना	9.00	1.79	0.00	0.00	0.00
19	{6692}	मुख्यमंत्री निकाह योजना	1200.00	0.00	1135.52	1134.08	94.51
20	{6693}	कन्या अभिभावक पेंशन योजना	2500.00	400.00	1701.79	1701.79	68.07
21	{6694}	कृत्रिम अंग उपकरण वितरण योजना	186.41	37.28	149.05	108.15	58.02
22	{7083}	अन्त्येष्टि सहायता योजना	27.29	5.46	16.95	16.89	61.89
23	{2083}	निःशक्तजनों को बी.एड. / बी.पी.एड	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
24	{2084}	श्रवण बाधित निःशक्तजनों को आई.टी.आई. प्रशिक्षण	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00
25	{7569}	निःशक्तजनों को बाधारहित वातावरण	1000.00	200.00	640.00	640.00	64.00
26	{9477}	नशीली दवा की मांग से कमी लाने के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना	247.00	49.40	69.67	69.67	28.21
27	{9642}	वरिष्ठजनों का कल्याण कार्यक्रम	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00
28	{5389}	वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
29	{7660}	कार्यक्रम आयोजन एवं प्रबंधन	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
30	{2304}	निर्देशन और प्रशासन	7212.30	31.50	4707.76	4616.47	64.01
31	{3098}	भिक्षुक प्रवेश केन्द्र तथा कर्मशाला	42.32	0.24	19.00	17.62	41.64
32	{0795}	कलापथक	1160.76	1.67	601.26	593.76	51.15
33	{5258}	भारतीय कुष्ठ निवारण संघ	50.00	10.00	39.90	32.00	64.00
34	{2245}	नशाबंदी कार्यक्रम	800.00	200.00	413.33	82.81	10.35
35	{9917}	म.प्र.राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग	100.03	12.50	66.28	31.93	31.92
		योग	439201.35	75770.83	342060.85	340909.22	77.62
36	{1167}	परिणाम निधि (पूँजीगत व्यय) मुख्य शीर्ष 4235	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
		महायोग (2235+4235)	449201.35	85770.83	342060.85	340909.22	75.89

भाग - 3

विभागीय योजना एवं कार्यक्रम का विवरण

दिव्यांगजन सशक्तिकरण

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 प्रदेश में प्रभावशील है। अधिनियम के प्रावधान अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, पुनर्वास आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान

मध्यप्रदेश में दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में 36 स्वैच्छिक संस्थाओं को विभाग द्वारा सहायक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है एवं 26 संस्थाएं निराश्रित निधि से संचालित की जा रही है। सूची परिशिष्ट में।

उक्त संस्थाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों को शिक्षण-प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्ष 2023-24 में रूपये 1170.00 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध दिसम्बर 2023 तक 742.91 लाख व्यय किया गया।

केन्द्रीय अनुदान (वित्तीय वर्ष 2023-24)

- दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजनान्तर्गत दिव्यांगजनों के शिक्षण- प्रशिक्षण, पुनर्वास से संबंधित रूपये 428.30 लाख के सहायक अनुदान संबंधी 10 प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।
- एडिप योजनान्तर्गत दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु रूपये 149.29 लाख के 04 प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।
- जिला दिव्यांग पुनर्वास योजनान्तर्गत दिव्यांगजनों के समग्र पुनर्वास हेतु रूपये 2088.72 लाख के सहायक अनुदान संबंधी 51 प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

कुष्ठ कल्याण योजना

कुष्ठ मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रदेश में 3 विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाएं कार्यरत हैं। वर्ष 2023-24 में रूपये 50.00 लाख का बजट प्रावधान अंतर्गत दिसम्बर 2023 तक 32.00 लाख का व्यय किया गया। 98 कुष्ठ परिवार लाभान्वित हुए हैं।

दिव्यांग पेंशन योजना

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 80 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजनों को रूपये 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही की दर से पेंशन भुगतान की जाती है।
- समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 6 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या अधिक हो एवं परिवार आयकरदाता न हो, उनको प्रतिमाह रूपये 600/- की दर से पेंशन भुगतान की जाती है।

बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता

मध्यप्रदेश के सभी छः वर्ष से अधिक आयु के बौद्धिक दिव्यांग, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलसी एवं बहुविकलांग को रूपये 600/- (रूपये छः सौ) प्रतिमाह प्रति हितग्राही आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना में आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। यह योजना दिनांक 18.6.2009 से प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत माह दिसम्बर 2023 तक 50.28 करोड़ प्रावधान के विरुद्ध 41.63 करोड़ राशि व्यय की जाकर 81,210 दिव्यांगजन लाभांवित हुये।

निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना

दम्पत्ति में से एक दिव्यांग तथा एक सामान्य होने पर रूपये 2,00,000/- (रूपये दो लाख) प्रोत्साहन राशि दी जायेगी एवं दोनों के दिव्यांग होने पर रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) एक मुश्त सहायता राशि एवं प्रशंसा पत्र देने का प्रावधान है। पात्रता हेतु दम्पति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। योजना पर होने वाला व्यय निराश्रित निधि से किया जाता है, यदि दिव्यांग व्यक्ति मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह करता है तो रूपये 55,000/- अतिरिक्त सहायता दिये जाने के प्रावधान भी है। निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना दिनांक 12.8.2008 से प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसम्बर 2023 तक 820 हितग्राही लाभांवित किये जाकर रूपये 1488.00 लाख व्यय किये गये।

दिव्यांगजनों हेतु हेल्प लाईन

दिव्यांग व्यक्तियों की समस्याओं एवं मार्गदर्शन हेतु वर्ष 2008 से राज्य द्वारा टोल फ़ी दूरभाष हेल्प लाईन नंबर 1800-233-4397 निरंतर संचालित है, केन्द्र सरकार द्वारा भी दिव्यांगजनों हेतु हेल्प लाईन नम्बर 1800- 233- 5956 प्रारंभ किया है।

विभिन्न योजनाओं में लाभांवित हितग्राही

क्र.	योजना	वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसम्बर 2023 की स्थिति में	
		हितग्राही	व्यय (लाख में)
1	छात्रवृत्ति	31323	208.36
2	शिक्षा प्रोत्साहन योजना • लेपटाप वितरण • मोट्रोट साईकिल वितरण	537 583	187.95 215.71
3	उच्च शिक्षा हेतु फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता	12	51.49
4	सिविल सेवा प्रोत्साहन	21	4.80
5	कृत्रिम अंग उपकरण वितरण	16906	1908.44 (108.15 राज्यांश)
6	दिव्यांग पेंशन	682384	4094.30
7	ऑटिज्म, सेरेबल पॉलसी, मानसिक एवं बहुविकलांग दिव्यांगों को सहायता	50.28	4163.00
8	निःशक्त विवाह प्रोत्साहन	820	1488.00
9	यूडीआईडी कार्ड	835926	—

प्रदेश के सभी दिव्यांगजनों को भारत सरकार के निर्धारित लक्ष्य 6.60 लाख के विरुद्ध 8.35 लाख (126%) यूडीआईडी कार्ड बनाये जा चुके हैं, समस्त दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड बनाये जाने की कार्यवाही प्रगतिरत है।

दिव्यांग विवाह में वर्षवार लाभांवित हितग्राही एवं व्यय की स्थिति

वर्ष	हितग्राही	व्यय (लाख में)
2008-09	103	25.75
2009-10	207	53.00
2010-11	738	144.82
2011-12	1141	286.96
2012-13	1775	369.77
2013-14	1514	498.50
2014-15	779	214.50
2015-16	1058	599.50
2016-17	1267	735.50
2017-18	1321	1016.50
2018-19	1282	1930.00
2019-20	1305	2336.50
2020-21	1009	1748.00
2021-22	1215	2071.50
2022-23	737	1226.00
2023-24 (दिसम्बर 2023)	820	1488.00
योग	16271	14744.80

विश्व विकलांग दिवस

विश्व विकलांग दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 3 दिसम्बर को किया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों को सामर्थ्य एवं प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1992 से विश्व विकलांग दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। वर्ष-2023-24 में रुपये 21.80 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिला स्तर पर दिव्यांग बच्चों के खेलकूद प्रतियोगिताएं, वाद-विवाद, सांस्कृतिक, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

कौशल विकास प्रशिक्षण

दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की कार्यवाही की गई है। प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालय स्थित आईटीआई में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु 65 दृष्टिबाधित तथा 89 श्रवण बाधितों को इस प्रकार कुल 154 दिव्यांगजनों को विभिन्न ट्रेड में प्रवेशित कराया गया है।

इन आई.टी.आई. में विभिन्न ट्रेड्स यथा कोपा, एम.ओ.एम., विद्युत, प्रोडक्शन, मेकेनिकल, इलेक्ट्रानिक्स, सिविल, फैशन डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग, आफिस असिस्टेंट आदि ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया जाता है।

मुख्यमंत्री निःशक्ति शिक्षा प्रोत्साहन योजना

सहायता का स्वरूप

दिव्यांगता की श्रेणी	सामग्री	पात्रता शर्तें
दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं बौद्धिक दिव्यांग	लेपटॉप	9वीं में प्राप्तांक 50 प्रतिशत होने पर 10वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आईटीआई में प्रवेश लेने पर। (एक ही बार)
अस्थिबाधित	लेपटॉप	9वीं में प्राप्तांक 60 प्रतिशत होने पर 10वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आईटीआई में प्रवेश लेने पर। (एक ही बार)
अस्थिबाधित (शरीर का निचला भाग प्रभावित होने से चलने में अक्षम, न्यूनतम 60 प्रतिशत निःशक्तता)	मोट्रैट ट्रायसिक्ल (बैटरी चलित)	10 वीं में प्रथमबार प्रवेश लेने पर अथवा स्नातक में प्रवेश लेने पर (एक ही बार)

नोट : दिव्यांग विद्यार्थी द्वारा कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर एक बार लेपटाप प्राप्त करने पर आईटीआई में प्रवेश लेने पर पात्रता नहीं आयेगी।

सामाजिक सहायता कार्यक्रम

भारत सरकार की योजनाएँ

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को उनकी पात्रतानुसार प्रतिमाह पेंशन राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है :—

1. 60 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि रूपये 200/- केन्द्रांश एवं राज्य सरकार द्वारा राशि रूपये 400/- (राज्यांश) इस प्रकार **कुल राशि रूपये 600/-** प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन प्रदाय की जा रही है।
2. 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि रूपये 500/- केन्द्रांश एवं राशि रूपये 100/- राज्यांश इस प्रकार **कुल राशि रूपये 600/-** प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन प्रदाय की जा रही है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसम्बर 2023 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :—

राशि करोड़ में			
वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2023-2024	1143.53	848.38	15,75,079

इस योजना में निर्धारित पात्रता के अनुसार 9,28,606 अन्य हितग्राही भी पात्र पाये गये हैं किन्तु भारत सरकार की कैप निर्धारित होने की वजह से इन 9,28,606 हितग्राहियों के मासिक पेंशन की सम्पूर्ण राशि का भुगतान (दिसम्बर 2023 तक राशि रूपये 501.45 करोड़) राज्य शासन की समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शीर्ष के अंतर्गत किया जा रहा है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना प्रदेश में 1.4.2009 से प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाओं को प्रतिमाह राशि रूपये 300/- केन्द्रांश एवं राशि रूपये 300/- राज्यांश इस प्रकार कुल राशि रूपये 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसम्बर 2023 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :-

राशि करोड़ में

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2023-2024	392.42	291.18	5,46,920

इस योजना में निर्धारित पात्रता के अनुसार 3,81,588 अन्य हितग्राही भी पात्र पाये गये हैं किन्तु भारत सरकार की कैप निर्धारित होने की वजह से इन 3,81,588 हितग्राहियों के मासिक पेंशन सम्पूर्ण राशि का भुगतान (दिसम्बर 2023 तक राशि रूपये 206.06 करोड़) राज्य शासन की समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शीर्ष के अंतर्गत किया जा रहा है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना प्रदेश में 1.4.2009 से प्रारंभ की जाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या अधिक हो, को प्रतिमाह राशि रूपये 300/- केन्द्रांश एवं राशि रूपये 300/- राज्यांश इस प्रकार कुल राशि रूपये 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही भुगतान किया जा रहा है।

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसम्बर 2023 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :-

राशि करोड़ में

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2023-2024	73.03	54.15	1,01,470

इस योजना में निर्धारित पात्रता के अनुसार 12,645 अन्य हितग्राही भी पात्र पाये गये हैं किन्तु भारत सरकार की कैप निर्धारित होने की वजह से इन 12,645 हितग्राहियों के मासिक पेंशन की सम्पूर्ण राशि का भुगतान (दिसम्बर 2022 तक राशि रूपये 6.83 करोड़) राज्य शासन की समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शीर्ष के अन्तर्गत किया जा रहा है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना दिनांक 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य (स्त्री/पुरुष) जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एक मुश्त सहायता प्रदान करना है। यह केन्द्रीय योजना है, योजना के क्रियान्वयन हेतु शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार से प्राप्त होती है। योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य शासन की है। इस योजना के अन्तर्गत परिवार के कमाऊ सदस्य की प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर रूपये 20,000/-की एक मुश्त आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसम्बर 2023 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :—

(राशि रूपये करोड़ में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2023-2024	59.01	14.02	7,011

प्रदेश सरकार की योजनाएँ व कार्यक्रम

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

राज्य शासन द्वारा वर्ष जनवरी 1981 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में योजनांतर्गत कुल राशि रूपये 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

पात्रता के मापदण्ड –

क्र.	श्रेणी	हितग्राही
1	60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध	3,04,959
2	18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा (कल्याणी) जो आयकरदाता न हो	11,53,055
3	50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहिता, जो आयकरदाता न हो	2,865
4	18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाएं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो	37,275
5	6 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक एवं आयकरदाता न हो	4,87,059
6	वरिष्ठ आश्रम में निवासरत समस्त अंतःवासी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है।	236
	योग	19,85,449

राष्ट्रीय योजनाओं के कैप के अतिरिक्त

1	60 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल वृद्ध (IGNOAP कैप के अतिरिक्त)	9,28,606
2	40 वर्ष से अधिक आयु की बीपीएल विधवा (कल्याणी) (IGNWP कैप के अतिरिक्त)	3,81,588
3	18 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो (IGNDP कैप के अतिरिक्त)	12,645
	योग	13,22,839
	महायोग	33,08,288

उपरोक्त के अतिरिक्त जिला बड़वानी में नेत्र संक्रमित 48 हितग्राहियों को रूपये 5000/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदाय की जा रही है।

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह दिसम्बर 2023 की स्थिति में व्यय, हितग्राहियों व बजट प्रावधान की जानकारी तालिका अनुसार है :—

(राशि रूपये करोड़ में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2023-2024	2166.14	1761.22	33,08,288

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

योजना 1 अप्रैल 2013 से प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक आयु हो एवं जिनकी केवल जीवित कन्याएं हैं, तथा आयकरदाता न हो ऐसे हितग्राही को राशि रूपये 600/- प्रतिमाह पेंशन प्रदाय की जाती है।

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह दिसम्बर 2023 की स्थिति में व्यय, हितग्राहियों व बजट प्रावधान की जानकारी तालिका अनुसार है :—

(राशि रूपये करोड़ में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2023-2024	25.00	17.02	70,047

छ: वर्ष से अधिक आयु के मानसिक रूप से अविकसित दिव्यांग एवं बहुविकलांगों को आर्थिक सहायता

यह योजना प्रदेश में 18.06.2009 से प्रभावशील है। मध्यप्रदेश के छ: वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग एवं बौद्धिक दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म से ग्रसित दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना में आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। वर्तमान में योजनांतर्गत कुल राशि रूपये 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसम्बर 2023 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :—

(राशि रूपये करोड़ में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2023-2024	50.28	41.63	81,210

अन्त्येष्टि सहायता योजना

योजना 13 अगस्त 2013 से प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत लावारिस शव जिसकी कोई पहचान नहीं है और उस शव के अंतिम संस्कार हेतु कोई तैयार नहीं हो, उनके अंतिम संस्कार हेतु राशि रूपये 3000/- की सहायता प्रदान की जाती है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसम्बर 2023 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :-

(राशि लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2023-2024	27.29	16.89	563

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2006 में निराश्रित/निर्धन परिवार की कन्या/विधवा(कल्याणी)/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से योजना आरंभ की गई। अभी तक योजना के संचालन हेतु जारी सभी दिशा-निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए प्रचलित प्रावधान एवं अब तक किये गये सभी संशोधनों को समाहित कर योजना को नवीन स्वरूप प्रदान कर 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना(संशोधित योजना 2022)' के नवीन दिशा-निर्देश शासन आदेश क्रमांक/एफ 3-39 / 2017 / 26-2 भोपाल दिनांक 22.04.2022 जारी किये गये।

पात्रता के मापदण्ड

- वधू/वधू के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
- वधू द्वारा विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो। वर्तमान में कन्या के लिए विवाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए न्यूनतम वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित है।

सहायता

"योजनांतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विवाह सम्पन्न कराने वाली प्रत्येक पात्र कन्या/विधवा(कल्याणी)/परित्यक्ता को राशि रूपये 55000/- प्रति कन्या के मान से स्वीकृत किये जायेंगे, जिसमें से रूपये 49000/- की राशि वधू को अकाउन्ट पेयी चेक एवं रूपये 6000/-सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता निकाय को देय होगी।"

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत वर्षवार आवंटन, व्यय एवं
लाभांशित हितग्राहियों की जानकारी निम्नानुसार तालिका में वर्णित है :—

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2006-2007	1000.00	1327.00	13,498
2007-2008	1920.00	1362.00	33,321
2008-2009	2618.00	4329.00	43,737
2009-2010	2500.00	2485.00	19,597
2010-2011	3801.00	3964.70	39,647
2011-2012	4201.00	4156.40	36,651
2012-2013	6787.80	6787.80	45,252
2013-2014	12592.00	10452.22	55,334
2014-2015	10915.00	6074.59	20,077
2015-2016	20679.20	11775.29	44,835
2016-2017	15436.81	11204.87	44,818
2017-2018	15000.00	9644.88	34,446
2018-2019	15000.00	14999.52	50,154
2019-2020	31506.17	20291.25	42,088
2020-2021	14290.00	12158.42	20,900
2021-2022	5000.00	1082.07	717
2022-2023	10418.00	10379.00	18109
2023-2024 (दिसम्बर 2023)	32000.00	29297.52	52345
कुल	205664.98	161771.54	615526

मुख्यमंत्री निकाह योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा निराश्रित/निर्धन मुस्लिम परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा(कल्याणी)/परित्यक्ता के सामूहिक निकाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निकाह योजना वर्ष 2012 से आरंभ की गई। शासन आदेश क्रमांक/एफ 3-39/2017/26-2 भोपाल दिनांक 22.04.2022 द्वारा योजना को नवीन स्वरूप प्रदान कर 'मुख्यमंत्री निकाह योजना (संशोधित योजना 2022)' के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

पात्रता के मापदण्ड

- वधू/वधू के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
- वधू द्वारा निकाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो। वर्तमान में कन्या के लिए निकाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए न्यूनतम वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित है।

सहायता

योजनांतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार ही राशि रूपये 55000/- प्रति कन्या के मान से प्रदान की जाती है, जिसमें से रूपये 49000/- की राशि वधू को अकाउन्ट पेयी चेक एवं रूपये 6000/-सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता निकाय को देय होगी।

योजनांतर्गत आवंटन, व्यय एवं हितग्राहियों की वर्षवार जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :—

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2012-2013	200.00	260.90	1766
2013-2014	800.00	474.60	2579
2014-2015	200.00	123.25	1248
2015-2016	500.00	381.31	2139
2016-2017	900.00	329.47	1666
2017-2018	1000.00	470.75	1681

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2018–2019	900.00	755.72	2265
2019–2020	1659.37	1015.73	3049
2020–2021	1869.00	1672.80	3280
2021–2022	400.00	99.02	194
2022–2023	900.00	456.62	830
2023–2024 (दिसम्बर 2023)	1200.00	1134.08	2061
कुल	10528.37	7174.25	22758

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना शासन के पत्र क्रमांक एफ / 3–5 / 2018 / 26–2 भोपाल दिनांक 03.05.2018 से प्रदेश में प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत 18 वर्ष या अधिक आयु की कल्याणी जो आयकरदाता न हो तथा कल्याणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो, को विवाह सहायता हेतु राशि रूपये 2,00,000/-की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजनांतर्गत व्यय मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से किया जाता है।

वर्ष	व्यय (रु. लाख में)	हितग्राही
2019–2020	892.00	446
2020–2021	608.00	304
2021–2022	730.00	365
2022–2023	598.00	299
2023–2024 (दिसम्बर 2023)	700.00	350.00
योग	3528.00	1764

समाज रक्षा कार्यक्रम

वरिष्ठ आश्रम

वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण, पुनर्वास एवं संरक्षण के लिये प्रदेश में वरिष्ठ आश्रमों की स्थापना कर संचालन किया जा रहा है। इन वरिष्ठ आश्रमों में उपेक्षित, निराश्रित एवं जरूरतमंद वरिष्ठजनों को आश्रय, भरण-पोषण, चिकित्सकीय परीक्षण, उपचार एवं मनोरंजन व पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वरिष्ठजनों को उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मानपूर्वक जीवन जीने हेतु अवसर प्रदान किया जा सके।

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 प्रदेश में 23 अगस्त 2008 से प्रभावशील हैं। अधिनियम के अध्याय-3 में धारा-19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत वरिष्ठ आश्रमों की स्थापना करने का प्रावधान नीहित है।

प्रदेश में अशासकीय संस्थाओं, पंचायतीराज संस्थाओं, स्थानीय निकायों के माध्यम से **79** वरिष्ठ आश्रम संचालित हैं। सूची परिशिष्ट में दर्शित है।

नेशनल एक्शन प्लान फार सीनियर सिटीजन (NAPSrC)

भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा नेशनल एक्शन प्लान फार सीनियर सिटीजन अंतर्गत समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (IPSRc) की उप योजना अटल वयो अभ्युदय योजना अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक गृहों का अनुरक्षण व संचालन, अल्जाइमर्स डिमेंशिया बीमारी से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिये सतत देखभाल गृह, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रों में संवेदनशीलता जागृति कार्यक्रम, वरिष्ठजनों के लिये जागरूकता सृजन कार्यक्रम के लिये 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का क्रियान्वयन

- माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 प्रदेश में 23 अगस्त 2008 से प्रभावशील।
- उक्त अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा म0प्र0 माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2009, अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई 2009 से प्रभावशील।
- धारा 7 (1) के तहत प्रदेश के समस्त जिलों के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय भरण—पोषण अधिकरण घोषित है।
- धारा 15 (1) के तहत प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट अपील अधिकरण घोषित है।
- धारा 18 (1) के तहत सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के समस्त जिला अधिकारी, भरण पोषण अधिकारी के रूप में पदाभिहित घोषित है।

अधिनियम के मुख्य उद्देश्य

- वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक, जो कि अपने स्वयं के अर्जन अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण—पोषण करने में असमर्थ हैं, वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण—पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- अभिभावक में सगे और दत्तक माता—पिता और सौतेले माता और पिता सम्मिलित हैं।
- प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, वह अपने संबंधितों से भी भरणपोषण की मांग कर सकता है, जिसका उनकी संपत्ति पर स्वामित्व है अथवा जो कि उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं।
- वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा एवं परित्याग एक संज्ञेय अपराध है, जिसके लिये रुपये 5000/- का जुर्माना या तीन माह की सजा या दोनों हो सकते हैं।

- अधिकरण द्वारा मासिक भरण—पोषण हेतु अधिकतम राशि रुपये 10,000/- प्रतिमाह तक का आदेश किया जा सकता है।
- सभी शासकीय चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों को बिस्तर उपलब्ध कराया जाता है तथा चिकित्सालयों में विशेष पंवितयों का प्रबंध किया गया है।

अधिकरणों द्वारा निराकृत प्रकरण

- समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय में गठित भरण—पोषण अधिकरण में कुल 154 प्रकरण दर्ज जिसमें से 90 निराकृत एवं 64 लंबित।
- जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट अपील अधिकरणों में कुल दर्ज प्रकरण 13 जिसमें से 05 निराकृत एवं 08 लंबित।

मध्यप्रदेश माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम, 2009 (संशोधन)

- मध्यप्रदेश माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2009 का नियम 21 में उप नियम (2) जोड़कर, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य परिषद् का गठन किया गया है।
- माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण नियम 2(1) में खण्ड (घ) के पश्चात् (घ क) में 'म.प्र. शासन के अधीन कार्यरत् शासकीय विभाग, अर्द्ध शासकीय उपक्रम, बोर्ड, निकायों के अधिकारी, कर्मचारी जो अपने माता—पिता की उपेक्षा करते हैं, ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत या अधिकतम 10,000/- काटकर, भरण—पोषण भत्ता, आवेदक माता—पिता के बैंक खातें में जमा कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

वरिष्ठजन हेतु Elder line (हेल्प लाईन)

भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वरिष्ठजनों हेतु टोल फ़ी Elder line (हेल्प लाईन) नम्बर 14567 हेल्प एज इंडिया शाखा भोपाल के माध्यम से दिनांक 17 मई 2021 से संचालित है। प्रदेश में नेशनल हेल्प लाईन द्वारा वरिष्ठजनों से संबंधित जानकारी, सुझाव, भावनात्मक सहयोग, दुर्घटना, दुर्व्यवहार से बचाव के लिये जानकारी प्रदान की जाती है। यह सेवा, बुजुर्गों की सहायता हेतु प्रातः 8:00 से सांय 8:00 बजे तक उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह दिसम्बर 2023 तक प्राप्त कुल कॉल 29066 जिसमें से 4573 वरिष्ठजनों को विभिन्न योजनाओं से लाभांवित किया गया है।

पेड सीनियर सिटीजन होम की स्थापना

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आभिजात्य वर्ग के सक्षम एकाकी जीवन जीने वाले वरिष्ठजनों हेतु भोपाल में एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त पेड सीनियर सिटीजन होम का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें 56 वरिष्ठजनों के सुरक्षित एवं सुविधाजनक रहने की सुविधा जिसमें वातानूकूलित कक्ष, लायब्रेरी, मनोरंजन कक्ष, प्रार्थना कक्ष, फिजियोथेरेपी कक्ष, मेडीकल स्टोर, ए.टी.एम. जैसी अनेक सुविधाएँ होगी।

पेड सीनियर सिटीजन होम लिंक रोड नम्बर 3 पर पांच एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है, जिसकी लागत राशि रूपये 23.96 करोड़ है।

शतायु सम्मान

01 अक्टूबर 2023 अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिस के अवसर पर 100 वर्ष की आयु पूर्ण किये 55 वरिष्ठजनों को शतायु सम्मान से सम्मानित किया गया। शतायु वरिष्ठजनों को निर्वाचन आयोग की ओर से भी सम्मानित किया गया है।

नशामुक्ति कार्यक्रम

प्रदेश व्यापी नशामुक्ति कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों यथा Youth Reached out, School College/University Programme, Community Awareness Session, Gram Sabha, Women reached out, Media Campaign, Awareness Rally, State/District Level Event इत्यादि अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों आयोजित की गई है।

नशामुक्त भारत अभियान

भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 15 अगस्त 2020 से नशामुक्त भारत अभियान (NMBA) का प्रथम चरण प्रारम्भ किया गया है। भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा नशीली दवा की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना अंतर्गत दिनांक 15 अगस्त 2020 से निरंतर नशामुक्त भारत अभियान देश के 272 जिलों में क्रियान्वित हैं, जिसमें मध्यप्रदेश के 15 जिलों यथा भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम्, छिन्दवाडा, नीमच, दतिया, मंदसौर, नरसिंहपुर, रतलाम, सतना एवं नशामुक्त भारत अभियान के द्वितीय चरण में प्रदेश के 4 जिलें क्रमशः राजगढ़, मुरैना, देवास एवं धार जिले इस प्रकार कुल 19 जिले चयनित हैं। इन जिलों में नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जन-जागरूकता हेतु विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

नशामुक्त भारत अभियान उपलब्धियाँ

नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 52 जिलों को डेशबोर्ड पर सम्मिलित किया गया है। अभियान अंतर्गत प्रदेश में नशामुक्ति के लिए विभिन्न गतिविधियों, कार्यक्रम आयोजित किये जाकर NMBA App पर 3.68 लाख पृष्ठियों अपलोड की गई है।

नशामुक्ति अभियान अंतर्गत अन्य कार्यक्रम

नशामुक्ति कार्यक्रम अंतर्गत 31 मई 2022 को "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस" 26 जून 2022 को "अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस" तथा गांधी जयंती 2 से 8 अक्टूबर 2022 तक "मद्य निषेध सप्ताह" एवं 30 जनवरी 2022 "मद्य निषेध संकल्प दिवस" का आयोजन किया जाकर नशामुक्ति के लिए युवाओं, छात्र, छात्राओं, तथा समाज के लोगों को जन जागृत किया गया है।

नशामुक्ति के लिये सघन प्रचार-प्रसार का कार्य करने के लिये विभागीय मान्यता प्राप्त 211 स्वैच्छिक संस्थाएँ कार्यरत हैं।

भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र की स्थापना/संचालन के लिये 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

प्रदेश में 14 नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र (Integrated Rehabilitation Centre for Addicts-IRCA) संचालित हैं, 07 आउटरीच एण्ड ड्रॉप इन सेंटर (Out Reach Drop in Centre-ODIC) तथा 03 कम्युनिटी वेर्सड पीयर-लेड इंटरवेंशन सेंटर (Community Based Peer&Led Intervention-CPLI) संचालित हैं एवं एक ही छत के नीचे IRCA, CPLI एवं ODIC सभी सुविधाएँ देने के लिये प्रदेश के 05 जिलों यथा मुरैना, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम एवं गुना में DDAC केन्द्रों की स्थापना करने की कार्यवाही प्रचलन में हैं। सूची संलग्न हैं।

भिक्षावृत्ति एवं ट्रांसजेण्डर कार्यक्रम

भिक्षावृत्ति निवारण योजना

मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973 प्रदेश के समस्त जिलों में दिनांक 03.02.2018 से प्रभावशील है। भिक्षावृत्ति मुक्त देश हेतु भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली की स्माईल स्कीम अंतर्गत भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु पहचान, मोबलाईजेशन, पुनर्वास और आजीविका के लिए प्रदेश के 05 जिले— खण्डवा (ओंकारेश्वर), उज्जैन, रायसेन (सांची), छतरपुर (खजुराहो) एवं इन्दौर के धार्मिक, पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल का चयन किया गया है।

प्रदेश के 05 जिले— खण्डवा (ओंकारेश्वर), उज्जैन, छतरपुर (खजुराहो), इन्दौर एवं भोपाल का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गए थे जिनमें से 04 जिले— खण्डवा (ओंकारेश्वर), उज्जैन, छतरपुर (खजुराहो), इन्दौर की कार्ययोजना स्वीकृत कर जिला— इन्दौर एवं उज्जैन को पृथक—पृथक प्रथम किश्त राशि रूपये 16.80 लाख राशि आवंटित की गई है।

उभयलिंगी (ट्रांसजेण्डर) व्यक्ति

1. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 सम्पूर्ण देश में 10 जनवरी 2020 से प्रभावशील है, अधिनियम की धारा 22 के प्रावधान अंतर्गत मध्यप्रदेश उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2021, बनाये जाकर दिनांक 17 जून 2022 से प्रदेश में प्रभावशील है।
2. राज्य शासन द्वारा की जाने वाली सीधी भर्तियों में अवसर प्रदान करने एवं शासकीय दस्तावेजों में लिंग संबंधी जानकारी में Transgender शब्द का उपयोग करने का प्रावधान किया गया है।
3. मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 94 पर ट्रांसजेण्डर समुदाय को म.प्र.राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 की धारा—11(1) अंतर्गत जोड़ा गया है।
4. भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के समग्र विकास एवं पुर्नवास हेतु प्रदेश के 12 जिलों में ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह खोले जाने हेतु जिला— बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, छिन्दवाडा, दतिया, डिण्डौरी, इन्दौर, जबलपुर, मण्डला, सतना, सीहोर एवं सिवनी का चयन किया गया है।

5. प्रदेश के 07 जिलें— इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, सीहोर, छिन्दवाडा, सिवनी एवं दतिया की कार्ययोजना कुल राशि रूपये 252.00 लाख भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित।
6. प्रदेश के शासकीय सेवकों के सेवाकाल में मृत्यु होने पर परिवार के आश्रित सदस्य के रूप में उभयलिंगी संतान अथवा उभयलिंगी भाई/बहन को भी अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का परिपत्र जारी किया गया है।
7. प्रदेश के 47 जिलों में “जिला उभयलिंगी कल्याण बोर्ड” का गठन किया गया है।
8. प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के समस्त जिला कार्यालयों एवं संचालित शासकीय संस्थाओं में कार्यरत ट्रांसजेण्डर कर्मचारियों/अधिकारियों की समस्यों के निराकरण हेतु शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
9. अधिनियम के प्रावधान अनुसार भारत सरकार के ट्रांसजेण्डर पोर्टल से प्रदेश में कुल 703 ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को पहचान प्रमाण—पत्र एवं पहचान पत्र जारी कर निम्नानुसार शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है :—

क्रमांक	योजनाओं का नाम	लाभार्थी संख्या
1.	प्रधानमंत्री आवास योजना	29
2.	आयुष्मान कार्ड	82
3.	उज्जवला योजना	14
4.	मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान	01
5.	विभिन्न प्रकार की पेंशन योजना	20
6.	मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेण्डर योजना	01
7.	संबंल योजना में पंजीयन	13
8.	खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत जारी खाद्य पर्ची	273
9.	श्रमिक कार्ड	03

कलापथक एवं पुरस्कार योजना

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को क्षेत्रीय प्रचलित लोक शैली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे लोकगीत लोकनाट्य एवं लोकनृत्य के माध्यम से प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से वर्ष 1955 से निरंतर विभाग में कलापथक योजना संचालित है। योजना के तहत प्रदेश के 38 जिलों में एक कलापथक इकाई कार्यरत है। योजनान्तर्गत प्रत्येक कलापथक दल में एक प्रमुख कलाकार एवं सात सहयोगी कलाकार रहते हैं। जिसमें प्रत्येक दल को प्रति माह में कुल 12 कार्यक्रम प्रदर्शन किया जाना निर्धारित है।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का क्रियान्वयन

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ऐसे वयस्क अपराधियों को, जो आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित न हो, को कारावास के स्थान पर सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने की कार्यवाही की जाती है। न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा प्रकरणों पर परिवीक्षा अधिकारी से अपराधी के संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त कर परिवीक्षा पर छोड़ने का आदेश पारित किया जाता है तथा निर्धारित अवधि तक परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में रखने का आदेश भी दिया जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत परिवीक्षा अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध हैं।

पुरस्कार योजनाएं

नशामुक्त ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना

योजना 16 फरवरी 2018 से प्रारंभ है। प्रत्येक जिले की एक ग्राम पंचायत जहां निवासरत युवा, वृद्ध तथा महिलाएं नशामुक्त जीवनयापन कर रहे हैं। ऐसी नशामुक्त ग्राम पंचायत को नशामुक्ति के लिये उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कार राशि रूपये 1.00 लाख तथा प्रशस्ति पत्र (प्रति जिला प्रति पंचायत) दिया जाता है। योजना के लाभ हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, आवेदन पत्र जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करते हैं। कुल प्राप्त प्रविष्टियों में से निर्णयिक मण्डल द्वारा नशामुक्ति की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायत का चयन पुरस्कार हेतु किया जाता है। चयनित ग्राम पंचायत को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में पुरस्कार राशि व प्रशंसा पत्र दिये जाने का प्रावधान है।

विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार

नशामुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों/ स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिये विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार राज्य एवं जिला स्तर पर प्रदान करने की योजना संचालित है। नशामुक्ति की दशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवी/स्वैच्छिक संगठन को विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार जिला स्तर पर राशि रूपये 10 हजार, राज्य स्तर पर रूपये 1.00 लाख तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना

महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना दिनांक 14.8.2008 से प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत शासन आदेश दिनांक 06.05.2020 से संशोधन किया जाकर दिव्यांगजनों के कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों/ संस्थाओं को निम्नानुसार चार श्रेणियों में पुरस्कार प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है :—

- दृष्टिबाधित और कम दृष्टि
- बहरे और कम सुनने वाले
- लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रफी
- ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बीमारी एवं बहुविकलांगता

योजनान्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को संस्थागत पुरस्कार जिसमें प्रत्येक श्रेणी में रूपये दो लाख तथा व्यक्तिगत पुरस्कार प्रत्येक श्रेणी में रूपये एक लाख प्रतिवर्ष निर्णायक मण्डल द्वारा चयन करने पर दिए जायेगा। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 09 व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत कर 5.75 लाख से लाभावित किया गया।

इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार

समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों/संस्थाओं को प्रतिवर्ष एक राज्य स्तरीय समाज सेवा पुरस्कार देने की योजना है। प्रदेश में निवास कर रहे दिव्यांग, वृद्ध, दुर्बल एवं निराश्रित निर्धन, पीड़ित एवं शोषित महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिये कार्य करने वाले स्वैच्छिक कार्यकर्त्ताओं/संस्थाओं को उनकी वैयक्तिक सेवा और योगदान को प्रोत्साहित करने एवं महिमा मंडित करने के उद्देश्य के तहत राज्य शासन द्वारा इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में राशि रूपये 10 लाख एवं प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान है।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010

मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2010 से संपूर्ण मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर विभिन्न विभागों की सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी तथा निश्चित की गई समय-सीमा को अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में अधिनियम की धारा 3 अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की निम्नलिखित सेवाएं अधिसूचित हैं :—

क्र.	सेवा क्रमांक	सेवाएं
1	7.1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना
2	7.2	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना
3	7.3	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना
4	7.4	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ति पेंशन की प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय
5	7.5	राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रदान करना
6	7.6	मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का प्रदाय
7	7.7	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अ) सामूहिक विवाह योजना में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन ब) गैर-सामूहिक विवाह करने पर लाभ प्रदान करना
8	7.8	मुख्यमंत्री निकाह योजना में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन
9	7.9	मध्यप्रदेश निःशक्ति छात्र/छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना
10	7.10	निःशक्ति विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना
11	7.11	मुख्यमंत्री निःशक्ति शिक्षा प्रोत्साहन योजना
12	7.12	छ: वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना
13	7.13	निःशक्ति विद्यार्थियों के लिये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
14	7.14	निःशक्ति विवाह प्रोत्साहन योजना

लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत विभाग की अधिसूचित सेवाओं के कुल 33823 पूर्ण आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिनमें से कुल 31277 आवेदनों का निराकरण कराया गया है।

आयुक्त निःशक्तजन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 79 के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश की नियुक्ति की गई है। वर्तमान में श्री संदीप रजक, आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश के पद पर पदस्थ है।

आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश को अधिनियम 2016 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश के कृत्य निम्नानुसार है :—

- स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी विधि के उपबंधों या नीति, कार्यक्रम और प्रक्रियाओं की पहचान करेगा, जो इस अधिनियम से असंगत है और आवश्यक सुधारकों उपायों की सिफारिश करेगा,
- स्वप्रेरणा से या अन्यथा दिव्यांगजनों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के संबंध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जांच करेगा जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले उठायेगा,
- इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों का पुनर्विलोकन करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगा,
- उन कारकों का पुनर्विलोकन करेगा जो दिव्यांगजनों के अधिकारों का उपभोग करने में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा समुचित सुधारकारी उपायों की सिफारिश करेगा,
- दिव्यांगजनों के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करेगा और उसका संवर्धन करेगा,
- दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों पर जागरूकता का संवर्धन करेगा,
- दिव्यांगजनों के लिए आशयित इस अधिनियम के उपबंधों और स्कीमों, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करेगा,
- दिव्यांगजनों के फायदे के लिए राज्य सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोग की मॉनीटरिंग करेगा, और
- ऐसे अन्य कृत्यों को करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

अधिनियम की धारा 82 के अनुसार आयुक्त निःशक्तजन की शक्तियां

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना,
- (ख) किन्हीं दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किया जाना,
- (ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियों की अध्यपेक्षा करना,
- (घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, और
- (ङ) किसी साक्षी या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

दिव्यांगजनों हेतु चलित न्यायालय

न्यायालय, आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश द्वारा 04 जिलों में मोबाइल कोर्ट आयोजित किये गये। आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश के कार्यालय में 152 प्रकरण इस वर्ष पंजीकृत हुए हैं। जिनमें से 102 प्रकरण का निराकरण किया गया, शेष 50 प्रकरणों में कार्यवाही प्रचलन में है। न्यायालय, आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश में 15 प्रकरण प्रचलित एवं 17 निराकृत हैं।

एडव्होकेसी बैठक

आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन एवं विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की मॉनिटरिंग हेतु वर्ष 2023-24 में 12 एडव्होकेसी/समीक्षा बैठकें की गई एवं 20 जिलों का निरीक्षण किया गया। जिसमें दिव्यांगजनों के लिये संचालित योजनाओं एवं अधिनियम/नियम के संदर्भ में कार्यवाही करने हेतु विभागों के अधिकारियों को प्रेरित किया गया।



मध्यप्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 296 / 3600 / 2007 / एक(1), दिनांक 28.01.2008 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग आयोग का गठन सामान्य वर्ग के हितार्थ किया गया था। तदोपरांत समय—समय पर आयोग के कार्यकाल में एक—एक वर्ष की वृद्धि की जाती रही एवं वृद्धि के आदेशों का मंत्रि—परिषद से अनुसमर्थन प्राप्त किया गया।

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1—15 / 2013 / 16—1 / 754, दिनांक 10.09.2021 द्वारा श्री शिव कुमार चौबे को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए 3—32 / 2021 / एक(1), दिनांक 10.09.2021 द्वारा मध्यप्रदेश सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष को राज्य शासन के मंत्री का दर्जा प्रदाय किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 1235 / 1338 / 2021एक(1), दिनांक 15.09.2021 से आयोग का नाम परिवर्तित कर मध्यप्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग किया गया है। श्री शिव कुमार चौबे द्वारा दिनांक 15.09.2021 को आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण कर दिनांक 21.10.2021 से आयोग कार्यालय का कार्य प्रारंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023—24 में म.प्र. राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के प्रावधानित बजट 100.03 लाख के विरुद्ध दिसम्बर 2023 की स्थिति में 31.93 लाख का व्यय किया जा चुका है।

मध्यप्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के विषय विचारार्थ बिन्दु निम्नानुसार है :-

- प्रदेश में सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण करने हेतु हितग्राहियों का चिन्हांकन करना।
- सामान्य वर्ग के समग्र कल्याण संबंधी बिन्दुओं पर विचार करना।
- प्रदेश में सामान्य वर्ग के लोगों के कल्याण की दिशा में राज्य शासन को नई कार्य योजनायें बनाने, पुराने कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन करने तथा आनुषांगिक विषयों पर सुझाव देना।
- प्रदेश में सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु सुझाव देना।

परशुराम कल्याण बोर्ड

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 961/129358/2023/26-2 दिनांक 16.06.2023 द्वारा "मध्यप्रदेश ब्राह्मण कल्याण बोर्ड" का गठन किया गया। बोर्ड के गठन उपरांत शासन आदेश क्रमांक 1085/1293518/2023/26-2 दिनांक 20.06.2023 से "मध्यप्रदेश ब्राह्मण कल्याण बोर्ड" के नाम को संशोधित किया जाकर "परशुराम कल्याण बोर्ड" संबंधी आदेश जारी किया गया।

इस अनुक्रम में शासन आदेश क्रमांक 2837/1293518/2023/26-2 दिनांक 09.10.2023 द्वारा परशुराम कल्याण बोर्ड में निम्नलिखित अशासकीय व्यक्तियों को अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया :—

क्रमांक	नाम एवं पता	पदनाम
1.	श्री विष्णु राजौरिया, निवासी भोपाल	—अध्यक्ष
2.	श्री अमर सिंह दण्डौतिया, मुरैना	—सदस्य
3.	पं. सोमेश परसाई, आई.टी.आई. रोड, गल्ला मंडी के सामने, नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश	—सदस्य
4.	पं. राजेन्द्र परसाई, 21, सिद्ध माता मोहल्ला, खरगोन, मध्यप्रदेश	—सदस्य
5.	पं. सुधाकर चतुर्वेदी, मध्यप्रदेश	—सदस्य

"परशुराम कल्याण बोर्ड", आवश्यकतानुसार ब्राह्मण वर्ग से जुड़ी गतिविधियों के प्रोत्साहन एवं समग्र कल्याण के लिए समय—समय पर जनहितकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का निर्माण कर सकेगा एवं तत्संबंध में अपनी अनुशंसाएं संबंधित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित करेंगा।

भाग - 4

सामान्य प्रशासनिक विषय

संसदीय कार्य

वर्ष में प्राप्त विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समयावधि में भेजे गये ।

सूचना का अधिकार

विभाग की सभी योजनाओं एवं कार्यों के संबंध में जनसामान्य को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। दिसम्बर 2023 की स्थिति में निराकृत प्रकरणों की स्थिति निम्नवत् है :—

प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	शेष प्रकरण
120	120	0

विभागीय स्थापना से संबंधित विषय

विभागाध्यक्ष स्तर पर स्वीकृत पद

1	आयुक्त / संचालक	आई.ए.एस.	1
2	मिशन संचालक	आई.ए.एस.	1
3	अपर संचालक	प्रथम श्रेणी	1
4	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	3
5	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	4
6	कार्यपालन यंत्री	प्रथम श्रेणी	1
7	सहायक संचालक संवर्ग	द्वितीय श्रेणी	18
8	परिवीक्षा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	2

क्षेत्रीय स्तर पर स्वीकृत पद

1	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	7
2	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	45
3	प्राचार्य शासकीय दृष्टिबाधित विद्यालय, जबलपुर	प्रथम श्रेणी	1
4	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	27

5	सहायक यंत्री (स.संचा. तकनीकी)	द्वितीय श्रेणी	1
6	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	द्वितीय श्रेणी	1
7	अधीक्षक, भिक्षुक प्रवेश केन्द्र	द्वितीय श्रेणी	1
8	अधीक्षक, श्रवण बाधितार्थ	द्वितीय श्रेणी	4
9	अधीक्षक, दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ	द्वितीय श्रेणी	4
10	अधीक्षक, राजकीय प्रौढ़ श्रवण बाधितार्थ तथा मूक प्रशिक्षण संस्थान इंदौर	द्वितीय श्रेणी	1
11	अधीक्षक, राजकीय अस्थिबाधित कल्याण संस्थान, जबलपुर	द्वितीय श्रेणी	1
12	अधीक्षक, मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का गृह	द्वितीय श्रेणी	7
13	अधीक्षक, अस्थि बाधित बालगृह इंदौर तथा बैतूल	द्वितीय श्रेणी	2
14	संभागीय व्यवस्थापक	द्वितीय श्रेणी	6
15	व्याख्याता, दृष्टिबाधित	द्वितीय श्रेणी	22
16	व्याख्याता, श्रवणबाधित	द्वितीय श्रेणी	18
17	व्याख्याता, अस्थिबाधित	द्वितीय श्रेणी	8
18	परिवीक्षा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	10
19	समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी	तृतीय श्रेणी	427
20	कम्प्यूटर ऑपरेटर सह सहायक ग्रेड 3	तृतीय श्रेणी (संविदा)	427

पदोन्नति

वर्ष के दौरान पदोन्नति नहीं हुई है।

नवीन नियुक्ति

वर्ष 2023-24 में 16 सहायक संचालकों की नियुक्ति हुई है।

समयमान वेतनमान

वर्ष 2023-24 में विभाग के 26 कर्मचारियों को समयमान वेतनमान प्रदान किया गया।

अनुकम्पा नियुक्ति

वर्ष 2023-24 के दौरान 04 अनुकम्पा नियुक्ति हुई है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाईन

मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में विभाग अंतर्गत दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 तक कुल 57305 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कुल 49510 शिकायतों को संतुष्टि के साथ निराकृत कराया गया है। इस प्रकार लगभग 86.40 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण शिकायतकर्ता से संतुष्टि से कराया गया है।

विभागीय जांच

विभागीय जांच प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है –

संवर्ग	वर्ष 2023 प्रारम्भ में लंबित	वर्ष में प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	दिसम्बर 2023 अंत तक लंबित प्रकरण
--------	------------------------------	-------------------------	----------------	----------------------------------

शासन स्तर

प्रथम श्रेणी	5	0	0	5
द्वितीय श्रेणी	–	–	–	–

संचालनालय श्रेणी

प्रथम श्रेणी	—	—	—	—
द्वितीय श्रेणी	—	—	—	—
तृतीय श्रेणी	04	02	05	01
चतुर्थ श्रेणी	—	—	—	—

न्यायालयीन प्रकरण

अप्रैल, 2023 तक की स्थिति में प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या	कुल न्यायालयीन प्रकरणों की संख्या
69	29	98

वादोत्तर की स्थिति

गत वर्ष के वादोत्तर हेतु प्रचलित प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023 तक प्रस्तुत किये गये वादोत्तर की संख्या	दिसम्बर 2023 की स्थिति में शेष लंबित वादोत्तर की संख्या
42	29	58	13

निर्णय पालन की स्थिति

अप्रैल 2023 की स्थिति में पालन हेतु लंबित निर्णयों की संख्या	अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023 तक प्राप्त निर्णयों की संख्या	अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023 तक पालन किये गये निर्णयों की संख्या	दिसम्बर 2023 को पालन हेतु शेष निर्णयों की संख्या	निर्णय की संख्या जिनके विरुद्ध अपील / विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत / प्रस्तावित है।	अवमानना प्रकरणों की संख्या
6	5	1	6	4	10

उपलब्धियाँ एवं विभिन्न कार्यवाहियाँ वर्ष 2023-24

• राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2023

- i. सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन/बाधामुक्त वातावरण के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्कृष्ट कार्य के लिए सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। उक्त पुरस्कार डॉ. ई. रमेश कुमार, वि.क.अधि. सह-आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्यप्रदेश द्वारा ग्रहण किया गया।



- ii. दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अपने राज्य में कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य दिव्यांगजन आयुक्त के रूप में उत्कृष्ट कार्य के लिए “आयुक्त दिव्यांगजन मध्यप्रदेश” श्री संदीप रजक को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।



- iii. श्री हिमांशु कंसल, जिला श्योपुर, म.प्र. को ‘श्रेष्ठ दिव्यांगजन’ श्रेणी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।



- **राज्य स्तरीय दिव्यांगजन पंजा कुश्ती प्रतियोगिता** – दिव्यांगजनों की प्रतिभा को निखारने एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अवसर प्रदान किये जाने हेतु राज्य स्तरीय दिव्यांगजन पंजा कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 16.05.2023 को किया गया। विजेताओं को माननीय विभागीय मंत्रीजी द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर आयुक्त निःशक्तजन श्री संदीप रजक एवं प्रो पंजा लीग के को-फाउण्डर एवं फिल्म स्टार सुश्री प्रीति झिंगियानी और श्री प्रवीण डबास मौजूद रहे।



- **परशुराम कल्याण बोर्ड का गठन**— मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के आदेश क्रमांक 1085 / 1293518 / 2023 / 26-2 दिनांक 20.06.2023 से परशुराम कल्याण बोर्ड का गठन किया गया एवं आदेश क्रमांक क्रमांक 1085 / 1293518 / 2023 / 26-2 दिनांक 09.10.2023 से बोर्ड के अध्यक्ष एवं चार सदस्यों को नियुक्ति किया गया।

- **महर्षि दधीचि पुरस्कार समारोह**— दिव्यांगजन के उत्थान और उन्नति के लिये उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं को दिनांक 18 अप्रैल 2023 को दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में वर्ष 2012-13 से 2019-20 के मध्य चयनित 9 व्यक्तियों को महर्षि दधीचि पुरस्कार तत्कालीन विभागीय मंत्रीजी द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव, आयुक्त एवं आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश मौजूद रहें।



- **सहायक संचालक की नियुक्ति**— सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अंतर्गत 16 नव-नियुक्त सहायक संचालक को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।



- **स्पेशल ओलंपिक्स प्रतियोगिता बर्लिन (जर्मनी)** – स्पेशल ओलंपिक अंतराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता बर्लिन (जर्मनी) में दिनांक 17 से 25 जून 2023 तक आयोजित की गई, जिसमें चयनित दिव्यांग खिलाड़ियों एवं कोच को प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु राशि रूपये 7.45 लाख की सहायता उपलब्ध कराई गई।
- **दिव्यांगजनों हेतु खेल केन्द्र जिला ग्वालियर** – अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल केन्द्र जिला ग्वालियर का निर्माण भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण नई दिल्ली द्वारा लगभग 35 एकड़ में राशि रूपये 170.99 करोड़ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) से कराया गया है।

दिव्यांग खेल केन्द्र में दिव्यांगजनों को विभिन्न खेलों हेतु विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदाय किया जायेगा। दिव्यांग खेल केन्द्र के आउट डोर स्टेडियम में 7000 दर्शकों, इन्डोर स्टेडियम में 1000 दर्शकों एवं एक्वेटिक (वॉटर) स्पोर्ट्स सेन्टर में 500 दर्शकों के बैठने के लिए व्यवस्था है साथ ही 208 एथलीटों के लिए आवासीय सुविधाएं/हॉस्टल ब्लॉक का निर्माण भी किया गया है।

दिव्यांग खेल केन्द्र के माध्यम से दिव्यांगजनों को पेरा एथलीट, पेरा जूडो, पेरा स्वीमिंग, सीटिंग वॉली बाल, पेरा बेडमिंटन, पेरा टेबल टेनिस, हॉकी, दृष्टिबाधित क्रिकेट, पेरा पॉवर लिफिटिंग आदि की सुविधा उपलब्ध होगी।

- **सिंगल विलक पेंशन वितरण कार्यक्रम** – दिनांक 10.01.2024 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सिंगल विलक के माध्यम से प्रदेश के 56.83 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों को 340.98 करोड़ की राशि का ई-भुगतान किया गया।



- माननीय विभागीय मंत्री के साथ समीक्षा एवं स्वागत कार्यक्रम – दिनांक 12 जनवरी 2024** को माननीय विभागीय मंत्रीजी श्री नारायण सिंह कुशवाह द्वारा समीक्षा बैठक संचालनालय में आयोजित की गई। संचालनालय के ऑडिटोरियम हॉल में माननीय मंत्रीजी का स्वागत कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों द्वारा प्रस्तुति दी गई।



सारांश

1. सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को राज्य शासन द्वारा जो दायित्व सौंपे है, उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया है।
2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन कार्यक्रम के माध्यम से **56.83 लाख** से अधिक पेंशन हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है।
3. मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह एवं कल्याणी विवाह योजना के अन्तर्गत योजना प्रारंभ से दिसम्बर 2023 तक **6.15 लाख** कन्याएं लाभांवित हो चुकी हैं।
4. ट्रांसजेण्डर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 दिनांक 10 जनवरी 2020 से प्रभावशील है। उक्त अधिनियम के प्रावधानुसार ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को पहचान प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किया जाना। प्रदेश में 702 ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को पहचान प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किये गये हैं।
5. इस तरह समाज के कमजोर वर्ग, निराश्रित, दिव्यांगजन, वरिष्ठजन, उभयलिंगी व्यक्ति, कल्याणी, अविवाहिता और परित्यक्त महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

सूची

i. दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत शासकीय संस्थाएं

जिला	क्र.	संस्था का नाम
1. ग्वालियर	1	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर
	2	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, ग्वालियर (बालक / बालिका)
2. जबलपुर	3	शासकीय श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जबलपुर
	4	शासकीय दृष्टि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर
	5	शासकीय राज्य अपंग कल्याण संस्थान, जबलपुर
	6	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, जबलपुर (बालक / बालिका)
3. इंदौर	7	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर
	8	अधीक्षक शासकीय अस्थि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इंदौर
	9	अधीक्षक शासकीय राजकीय प्रौढ़ बाधितार्थ प्रशिक्षण संस्थान, इंदौर
	10	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, इंदौर (बालक / बालिका)
4. उज्जैन	11	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ (बालिका) उच्चतर माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय, उज्जैन
	12	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, उज्जैन (बालक / बालिका)
5. भोपाल	13	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल
	14	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, भोपाल (बालक / बालिका)
6. रीवा	15	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रीवा
	16	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, रीवा (बालक / बालिका)
7. सागर	17	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर
	18	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, सागर (बालक / बालिका)
8. खरगौन	19	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरगौन
9. बैतूल	20	शासकीय अस्थि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बैतूल

ii. मध्यप्रदेश भिक्षावृति निवारण अधिनियम के तहत प्रदेश में प्रमाणित शासकीय संस्था

क्र.	जिला	संस्था का नाम
1	इंदौर	अधीक्षक-भिक्षुक प्रवेश केन्द्र एवं प्रमाणित संस्था, समाज कल्याण परिसर, परदेशीपुरा इन्दौर, म.प्र.

iii. दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत राज्य अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाएं

क्र.	जिला	संस्था संख्या	संस्था का नाम एवं पूर्ण पता
1	2	3	4
1.	ग्वालियर	1	1. मांधव अंधाश्रम, ग्वालियर,
		2	2. म.प्र. मूक बधिर कल्याण संस्था ग्वालियर.
2.	शिवुपरी	3	1. मंगलम शिवपुरी
3.	देवास	4	1. म.प्र. दृष्टिहीन कल्याण संघ शाखा देवास
4.	रतलाम	5	1. जनचेतना परिषद मंद एवं मूक बधिर विद्यालय जिला रतलाम
5.	उज्जैन	6	1. उज्जैनी वरिष्ठ नागरिक संगठन द्वारा संचालित सेवांजलि विद्यालय
		7	2. अपंग सेवा आश्रम उज्जैन
6.	इंदौर	8	1. मूकबधिर संगठन स्कीम नं. 71 रंजीत हनुमान के पीछे इंदौर
		9	2. अंध मूक बधिर विद्यालय जीवन दीप कांलोनी इंदौर
		10	3. म.प्र. दृष्टिहीन कल्याण संघ इंदौर किला मैदान
		11	4. महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ इंदौर बाब्बे अस्पताल के पास इंदौर
		12	5. राष्ट्रीय दृष्टिहीन कल्याण संघ बाब्बे अस्पताल के पास इंदौर
		13	6. रोटरी पांल हैरिस स्कूल बाब्बे अस्पताल के पास स्कूल स्कीम नं. 54 इंदौर
		14	7. विकलांग कल्याण संघ इंदौर सुखलिया चन्द्रगुप्त चौराहा इंदौर
		15	8. महात्मा गांधी संस्थान नवलखा बंगाली कलब के पास इंदौर
		16	9. कुष्ठ सेवा संस्थान इंदौर
7.	झाबुआ	17	1. करुणा सदन कुष्ठ निवारण संस्था राणापुर
8.	अलीराजपुर	18	1. चन्द्रशेखर आजाद आदिवासी दृष्टिहीन पुनर्वास केन्द्र अलीराजपुर
9.	बड़वानी	19	1. श्री कांता विकलांग टर्स्ट झांकर निवाली जिला बड़वानी
		20	2. आशाग्राम ट्रस्ट जिला बड़वानी
10.	खण्डवा	21	1. श्रीमती सावित्री बाई झंवर सेवा न्यास जिला खण्डवा
11.	भोपाल	22	1. दृष्टिहीन कल्याण संघ शिवाजीनगर भोपाल
		23	2. नेशनल एसोसियेशन फॉर द ब्लाइंड सांकेत नगर भोपाल
		24	3. मेरियन सोसायटी आशा निकेतन बधिर उ.मा.वि. अरेरा कांलोनी भोपाल
		25	4. मिरियम स्कूल फॉर द मेंटली हेण्डीकेप्ड अरेरा कांलोनी भोपाल
		26	5. शुभम विकलांग एवं समाज सेवा समिति कोहेफिजा भोपाल
		27	6. दिग्दर्शिका पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल
		28	7. महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम भोपाल
12.	विदिशा	29	1. सूरज निकेतन विशेष स्कूल, शिवकल्याण एवं शिक्षण समिति विदिशा
13.	बैतूल	30	1. दृष्टिहीनों की शाला एवं पुनर्वास केन्द्र पाढ़र जिला बैतूल
14.	छतरपुर	31	1. प्रगतिशील विकलांग संसार चौबे नर्सिंग हास्पिटल के पास छतरपुर
15.	दमोह	32	1. अनंत मूक बधिर विद्यालय दमोह
16.	जबलपुर	33	1. चेतना विकलांग सेवा भारती शास.प्राथमिक शाला परिसर जबलपुर
		34	2. स्नेह निकेतन थाना गौरखपुर के पास जबलपुर
17.	रीवा	35	1. अशासकीय नेत्रहीन एवं विकलांग उमाविद्यालय तोपखाना रीवा
18.	सीधी	36	1. गुरुकूल संस्कृति शिक्षा समिति-विवेकानंद विकलांग आवसीय विद्यालय सीधी

iv. दिव्यांगता के क्षेत्र में जिला निराश्रित निधि /केन्द्रीय अनुदान/ अन्य स्रोत से संचालित संस्थाओं की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	क्र.	संस्था का नाम
1	जबलपुर	1.	आशा आवा केन्द्र
		2.	महाकौशल नव ज्योति संस्था
		3.	विकलांग सेवा भरती
		4.	राजीव कुमार समाज कल्याण ग्राम विकास शोध संस्थान
		5.	वंदन पुनर्वास एवं अनुसंधान
		6.	जस्टिस तन्खा मेमोरिलय
		7.	मुदित पुनर्वास केन्द्र
2	विदिशा	8.	राजुल विकलांग पालक अभिभावक उत्थान समिति
		9.	उमीद शिक्षण समिति
3	भोपाल	10.	शालोम विशेष विद्यालय
		11.	उमंग गौरवदीप वेलफेयर सोसायटी
		12.	माधुरी औंयाम सोसायटी
		13.	संपूर्ण सोसायटी
4	उज्जैन	14.	नागदा जैनिथ सोशल वेलफेयर सोसायटी
		15.	अपंग सेवा आश्रम
		16.	डॉर्टर्स आफ सेंट थामस सोसायटी
		17.	मध्यप्रदेश विकलांग सहायता समिति स्पेशल स्कूल
5	इन्दौर	18.	संवेदना बौद्धिक विकास केन्द्र
		19.	श्री श्री उत्कृष्ट समिति
		20.	नि.शक्तजन आधार वेलफेयर सोसायटी
		21.	मूक बधिर संगठन
6	रीवा	22.	रनेह शिक्षण एवं मानव सेवा संस्थान
		23.	राजरानी सेवा एवं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान
7	ग्वालियर	24.	ऐहसास संस्थान
		25.	आत्म ज्योति आवासीय दृष्टिहीन कन्या विद्यालय
		26.	रमन शिक्षा समिति
8	दतिया	27.	मानव जन कल्याण संस्था शिवपुरी शाखा झांसी रोड
		28.	अजय मेमोरियल ट्रस्ट

क्र.	जिले का नाम	क्र.	संस्था का नाम
9	नर्मदापुरम्	29.	भविष्य डांस प्रशिक्षण एवं सोशल वेलफेयर समिति
		30.	संज्ञा शिक्षण एवं समाज कल्याण समिति
		31.	ऐनिबेसेंट मेमोरिलय संस्थान
		32.	संकल्प बधिर विशेष संस्था
10	भिण्ड	33.	बजरंग शिवम शिक्षा प्रसार समिति
11	शाजापुर	34.	अंकुर प्रगतिशील महिला केन्द्र
12	सीधी	35.	गोपद विकलांग शिक्षा विकास समिति
13	सतना	36.	स्नेह सदन सोशल वेलफेयर सोसायटी
14	खरगोन	37.	मॉ ओम नर्मदा सेवा समिति
		38.	ज्योतिर्मय सेवा समिति
15	सिंगरौली	39.	जय मॉ कालिका विकलांग विशेष आवासीय विद्यालय
16	श्योपुर	40.	गोपद शिक्षा विकास समिति
		41.	गौरीशंकर आधुनिक शिक्षा प्रसार समिति
17	कटनी	42.	स्वावलंबन विकलांग पुनवार्स एवं अनुसंधान संस्थान
		43.	राजीव कुमार समाज कल्याण ग्राम विकास शोध संस्थान
		44.	भारतीय रेडक्रास सोसायटी श्रवण बाधितार्थ विद्यालय
18	नरसिंहपुर	45.	महर्षि वशिष्ठ शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान
19	छिन्दवाडा	46.	शुभम निरूशकत तकनीकी विद्यालय
		47.	कार्तिकेय ऐजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी
20	नीमच	48.	इंडियन रेडक्रास मूक बधिर विद्यालय एवं आवासीय छात्रावास
21	देवास	49.	मालवा कौसिल फार सोशल वर्क देवास
22	बैतूल	50.	अर्पण बहुउद्घेश्यीय शिक्षण समिति
23	खण्डवा	51.	निमाड अंचल नेत्रहीन संघ खण्डवा
		52.	स्वयं सिद्धा शिक्षण समिति
24	मुरैना	53.	गौतम शिक्षा प्रसार समिति , शारदा श्रवण एवं बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का विद्यालय
25	शिवपुरी	54.	मंगलम-बौद्धिक दिव्यांग श्रवण बाधितार्थ बच्चों का विशेष विद्यालय

V. अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित वरिष्ठ आश्रम

क्र.	जिले का नाम	संक्र.	वरिष्ठ आश्रम एवं संचालन करने वाली संस्था का नाम	वरिष्ठ आश्रम संचालन का स्त्रोत
1	2	3	4	5
1	भोपाल	1.	'आसरा वृद्धजन सेवा केन्द्र'गांधी भवन न्यास द्वारा संचालित वरिष्ठ आश्रम शाहजहांनाबाद, गोलघर के पास, भोपाल	निराश्रित निधि
		2.	'आनन्दधाम वरिष्ठ आश्रम' सेवा भारती (मातृछाया) भोपाल, नूतन कालेज के पास, लिंक रोड नं.-2	जन सहयोग
		3.	ऑर्च डायोसिस आफ भोपाल आर्च विशाप्स हाउस, 33 अहमदाबाद पैलेस रोड, भोपाल	जन सहयोग
		4.	'अपना घर वृद्धश्रम'बी-4-79, आई०आई०टी० कालेज के पीछे कोलार रोड, भोपाल	जन सहयोग
		5.	नैल्लोर शिक्षा समिति, ज्योतिबा फुले नगर चार ईमली के पीछे जिला भोपाल	केन्द्रीय अनुदान
		6.	न्यू प्रताप शिक्षा समिति, एच-105 शास्त्री नगर जिला भोपाल	जन सहयोग
2	रायसेन	7.	'महात्मा गांधी वरिष्ठ आश्रम'अशा.संस्था आर.डी.एस. एस.,सिलवानी द्वारा संचालित जिला रायसेन	निराश्रित निधि
3	विदिशा	8.	'श्री हरि वरिष्ठ आश्रम'अशा. संस्था अजंता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित स्वर्णकार कालोनी, यामहा शो-रुम के पास, जिला विदिशा	केन्द्रीय अनुदान
4	नर्मदापुरम	9.	'वरिष्ठ आश्रम पिपरिया' नगर पालिका पिपरिया द्वारा संचालित बस स्टैंड, पिपरिया जिला नर्मदापुरम	निराश्रित निधि
		10.	'वरिष्ठ आश्रम इटारसी' रामवृद्ध जन कल्याण समिति इटारसी जिला नर्मदापुरम	निराश्रित निधि
		11.	अभ्युदय लोक सेवा संस्थान, वार्ड नंबर . 8 देवल मोहल्ला सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम	केन्द्रीय अनुदान
5	बैतूल	12.	'मातोश्री शिशु-वृद्धजन सेवाधाम' अशा.संस्था विशाल सतपुडा उत्थान समिति ग्राम उडदन, पोस्ट बाक्स नं. 27-भारत भारती बैतूल	निराश्रित निधि
6	हरदा	13.	'वरिष्ठ आश्रम हरदा' जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संचालित शासकीय भवन, जिला हरदा	निराश्रित निधि
7	सीहोर	14.	'संकल्प वृद्धाश्रम' अशा. संस्था न्यू प्रताप शिक्षा समिति, जिला सीहोर द्वारा संचालित जिला सीहोर	केन्द्रीय अनुदान
8	राजगढ़	15.	'आशाधाम वरिष्ठ आश्रम' अशासकीय संस्था अंकुर प्रगतिशील महिला केन्द्र शाखा राजगढ़ जिला राजगढ़	केन्द्रीय अनुदान
9	ग्वालियर	16.	अशा. संस्था नारायण दास अग्रवाल परमार्थ सेवा ट्रस्ट, जागृति नगर, लक्ष्मीगंज ग्वालियर	निराश्रित निधि
		17.	मोलीक्यूलर वेलफेर सोसायटी, केकृ48, गांधी नगर, ग्वालियर	निराश्रित निधि
10	दतिया	18.	बाल प्रगति शिक्षण संस्थान, राम नगर कॉलोनी जिला दतिया	जन सहयोग

क्र.	जिले का नाम	संक्र.	वरिष्ठ आश्रम एवं संचालन करने वाली संस्था का नाम	वरिष्ठ आश्रम संचालन का स्त्रोत
1	2	3	4	5
11	गुना	19.	'अपना घर वरिष्ठ आश्रम' अशा.संस्था श्री साईनाथ सेवा सदन समिति, नानाखेड़ी, जिलाकृ गुना	निराश्रित निधि
12	अशोकनगर	20.	'वरिष्ठ आश्रम अशोक नगर' अशा. संस्था फोरम फार इनवायरमेन्ट एण्ड डेव्हलपमेंट (फीड) शंकरपुर, आरोन रोड, जिला अशोकनगर	निराश्रित निधि
		21.	उपरिंग फाउण्डेशन अशोकनगर	निराश्रित निधि
13	श्योपुर	22.	'गणराज वरिष्ठ आश्रम' अशा.संस्था श्री गणराज सेवा समिति, पाली रोड, श्योपुर	निराश्रित निधि
14	भिण्ड	23.	'वरिष्ठ आश्रम भिण्ड' अशा.संस्था— मोलीक्यूलर वेलफेयर सोसायटी, गली नं० 2 जमना रोड, जिला भिण्ड	निराश्रित निधि
		24.	'वरिष्ठ आश्रम' श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट तह० लहार, जिला भिण्ड	जन सहयोग
		25.	'बांके बिहारी वरिष्ठ आश्रम' श्री मूलचन्द्र शिक्षा प्रसार समिति, ग्राम दबोह, जिला भिण्ड	निराश्रित निधि
		26.	'मौं गजानन वरिष्ठ आश्रम' मौं गजानन शिक्षा समिति जिला भिण्ड	निराश्रित निधि
		27.	'बालाजी वरिष्ठ आश्रम' गहोई शिक्षा प्रसार समिति, मिहोना, जिला भिण्ड	केन्द्रीय अनुदान
15	मुरैना	28.	'शासकीय वरिष्ठ आश्रम' कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संचालित वरिष्ठ आश्रम, माधोपुरा की पुलिया के पास मुरैना	निराश्रित निधि
16	शिवपुरी	29.	'वरिष्ठ आश्रम शिवपुरी' अशा.संस्था मंगलम शिवपुरी वृद्धाश्रम भवन, अस्पताल चौराहे के पास कोर्ट रोड, जिला शिवपुरी	केन्द्रीय अनुदान
17	इंदौर	30.	'आस्था वरिष्ठ आश्रम' अशा.संस्था कल्याण मित्र समिति समाज कल्याण परिसर, परदेशीपुरा, जिला इंदौर	जन सहयोग
		31.	अमरलाल सेवा चेरेटेबिल ट्रस्ट द्वारकापुरी, जिला इंदौर	जन सहयोग
		32.	श्री भोलाराम भक्त हनुमान मंदिर परमार्थिक ट्रस्ट, १६१ छोटी भमोरी अनूप टाकीज चौराहा, इंदौर	जन सहयोग
		33.	'श्री गणेश बुजुर्ग आश्रम' अशा.संस्था महिला उत्कर्ष संस्थान ३४ वृदावन कालोनी इंदौर जिला इंदौर	केन्द्रीय अनुदान
18	धार	34.	'वरिष्ठ आश्रम धार' भोज शोध समिति—धार द्वारा संचालित	जन सहयोग
19	बुरहानपुर	35.	'वरिष्ठ आश्रम' बुरहानपुर'अशा.संस्था हरखराज विजयराज लोड़ा द्वारा संचालित जिला बुरहानपुर	जन सहयोग
20	खरगौन	36.	'आनंद बसेरा वरिष्ठ आश्रम'नगर पालिका महेश्वर द्वारा संचालित, महेश्वर, जिला खरगौन	निराश्रित निधि
		37.	'आशा निकेतन वृद्धाश्रम'सरस्वती साहित्य संगम महेश्वर शाखा, खलबुजुर्ग, तहसील कसरावद, जिला खरगौन	निराश्रित निधि
21	खण्डवा	38.	श्री वैष्णव वृद्धाश्रम अशा.संस्था आश्रम शांति निकेतन ओंकारेश्वर जिला— खण्डवा	निराश्रित निधि

क्र.	जिले का नाम	संक्र.	वरिष्ठ आश्रम एवं संचालन करने वाली संस्था का नाम	वरिष्ठ आश्रम संचालन का स्त्रोत
1	2	3	4	5
22	आगर मालवा	39.	'अपना घर वरिष्ठ आश्रम' तथागत समाज कल्याण समिति वार्ड नं. 11 अजित बाबा रोड आगर मालवा	केन्द्रीय अनुदान
23	अलीराजपुर	40.	'वरिष्ठ आश्रम' जिला प्रशासन सामाजिक न्याय विभाग	निराश्रित निधि
24	उज्जैन	41.	'सेवाधाम वरिष्ठ आश्रम' अशा. संस्था उज्जैयिनी वरिष्ठ नागरिक संगठन, ग्राम अम्बोदिया तह. घटिया, जिला- उज्जैन	जन सहयोग
25	मंदसौर	42.	'वरिष्ठ आश्रम' भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा मंदसौर द्वारा संचालित रेवास देवडा रोड, जिला मंदसौर	जन सहयोग
26	देवास	43.	'बसेरा वरिष्ठ आश्रम' जिला विकलांग कल्याण एवं विकास समिति, जिला देवास द्वारा संचालित राजोदा रोड, जिला देवास	निराश्रित निधि
27	रतलाम	44.	'वरिष्ठ आश्रम बिरयाखेडी' भारतीय रेडक्रास सोसायटी, बिरयाखेडी जिला रतलाम	निराश्रित निधि
28	नीमच	45.	'वरिष्ठ आश्रम नीमच' भारतीय रेडक्रास सोसायटी, नीमच	निराश्रित निधि
29	शाजापुर	46.	भारतीय रेडकॉस सोसायटी जिला शाजापुर	निराश्रित निधि
30	सागर	47.	'आनंद वरिष्ठ आश्रम' भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा सागर द्वारा संचालित खुरई जिला सागर	निराश्रित निधि
31	दमोह	48.	'वरिष्ठ आश्रम' दमोह भारतीय रेडक्रास सोसायटी, दमोह	निराश्रित निधि
32	छतरपुर	49.	'दर्शना वरिष्ठ आश्रम' अशा. संस्था दर्शना महिला कल्याण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, छतरपुर	निराश्रित निधि
		50.	'माँ भगवती वृद्धाश्रम' अशा. संस्था—माँ भगवती महिला मंडल, घुवारा, तहसील बड़ामलहरा, जिला छतरपुर	निराश्रित निधि
		51.	"वरिष्ठ आश्रम" समग्र विकास महिला समिति वृद्धाश्रम लवकुश नगर छतरपुर	निराश्रित निधि
		52.	बुन्देलखण्ड महिला परिषद, 76 खोप का तिगड़ा जिला छतरपुर	जन सहयोग
33	निवाड़ी	53.	'रामराजा वरिष्ठ आश्रम' श्री लुकमान चौराहा, मोटे का मोहल्ला, आरेछा, अशा. संस्था— आर.एस. शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित	निराश्रित निधि
34	टीकमगढ़	54.	श्रेया मानव कल्याण एवं ग्रामीण विकास समिति टीकमगढ़	जन सहयोग
		55.	मातृशक्ति शक्ति संगठन, जिला टीकमगढ़	जन सहयोग
35	पन्ना	56.	'वरिष्ठ आश्रम' अशासकीय संस्था जन जागरण एवं समाज उत्थान परिषद पन्ना	केन्द्रीय अनुदान
36	जबलपुर	57.	'आश्रम आनन्द भवन' मिशनरीश ऑफ चेरिटी मदर टैरेसा आश्रम आनन्द भवन पूर्वी घमापुर, कॉचघर, जबलपुर	जन सहयोग
		58.	'वरिष्ठ आश्रम बाजनामठ' भारतीय रेडक्रास सोसायटी, बाजनामठ, तिलवाराघाट रोड, जबलपुर	केन्द्रीय अनुदान
37	छिन्दवाड़ा	59.	'गोधुली वरिष्ठ आश्रम' नगर पालिका निगम द्वारा संचालित लोनिया करबल, छिन्दवाड़ा	निराश्रित निधि

क्र.	जिले का नाम	संक्षि. क्र.	वरिष्ठ आश्रम एवं संचालन करने वाली संस्था का नाम	वरिष्ठ आश्रम संचालन का स्त्रोत
1	2	3	4	5
38	नरसिंहपुर	60.	'जगतगुरु शंकराचार्य वृद्धाश्रम' आध्यात्मिक उत्थान मंडल न्यास समिति, झोतेश्वर, गोटेगाव, जिला— नरसिंहपुर	निराश्रित निधि
		61.	सैद्धांतिक शिक्षा समिति, गोटेगाव, नरसिंहपुर मेनरोड जिला नरसिंहपुर	केन्द्रीय अनुदान
		62.	तपोभूमि वृद्धाश्रम बरमानकला, रेडक्रॉस सोसायटी नरसिंहपुर	निराश्रित निधि
39	कटनी	63.	'बच्चन नायक वरिष्ठ आश्रम' अशा.संस्था कर्मयोग समिति, 10 सावरकर वार्ड, नई बस्ती जिला कटनी, ग्राम कछगंवा, झिंझर जेल के पास, जिला कटनी	जन सहयोग
40	बालाघाट	64.	'सहारा वरिष्ठ आश्रम' जिला नशामुक्ति अभियान संगठन, वार्ड नं. 1, भटेरा चौकी बालाघाट	निराश्रित निधि
		65.	'सहारा वरिष्ठ आश्रम' पीपरटोला (विरसा) जिला नशामुक्ति अभियान संगठन, वार्ड नं. 1, भटेरा चौकी जिला बालाघाट	केन्द्रीय अनुदान
41	सिवनी	66.	'वरिष्ठ आश्रम सिवनी'वृद्धाश्रम विकास समिति जिला सिवनी	निराश्रित निधि
		67.	जिला नशामुक्ति अभियान संगठन, वार्ड नं. 11 कॉलेज रोड बरघा, जिला सिवनी	केन्द्रीय अनुदान
42	मण्डला	68.	'वरिष्ठ आश्रम'भारतीय रेडक्रास सोसायटी मण्डला	रेडक्रास सोसायटी
		69.	सैद्धांतिक शिक्षा समिति, ग्राम बीजाडाण्डी, तहसील नारायण गंज, मण्डला मेन रोड बीजाडाण्डी	केन्द्रीय अनुदान
43	डिण्डौरी	70.	'मां नर्मदा वरिष्ठ आश्रम' सर्वांगीण विकास संस्थान डिण्डौरी	निराश्रित निधि
44	रीवा	71.	'वरिष्ठ आश्रम'स्वागत भवन रीवा, भारतीय रेडक्रास सोसायटी	निराश्रित निधि
45	सतना	72.	'प्रमोदवन आनंदधाम' कांच मंदिर के आगे, चित्रकूट, सतना	निराश्रित निधि
		73.	'वरिष्ठ आश्रम' मां शारदा देवी प्रबंध कमेटी (ट्रस्ट) समिति, मैहर, जिला—सतना	निराश्रित निधि
		74.	'चन्द्राश्रय वरिष्ठ आश्रम' डॉ. लालता प्रसाद खरे पब्लिक चेरीटेबल ट्रस्ट, सतना, नीमी रोड, सकरिया, जिला सतना	निराश्रित निधि
		75.	'वरिष्ठ आश्रम'मॉडल शिक्षा समिति, वीरसिंहपुर, सतना	निराश्रित निधि
		76.	'वरिष्ठ आश्रम अमिरिती'दुर्गा वृद्ध सेवा समिति, ग्राम पंचायत अमिरिती पोस्ट देवरा, ज.प. मझगंवा, सतना	निराश्रित निधि
		77.	प्रभाश्री जन कल्याण समिति श्यामनगर जिला सतना	निराश्रित निधि
		78.	'वरिष्ठ आश्रम'अशा.संस्था—भारत विकास परिषद, कल्याणपुर, जिला शहडोल	निराश्रित निधि
46	शहडोल	79.	'कल्याण वरिष्ठ आश्रम'ग्राम सीतापुर ग्राम पंचायत बरबसपुर, जिला अनूपपुर	निराश्रित निधि
47	अनूपपुर			

vi. केन्द्रीय अनुदान से संचालित नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र (IRCA)
अशासकीय संस्थाओं की सूची

क्रमांक	जिला	अशासकीय संस्था का नाम
1	इन्दौर	अंकुर प्रगतिशील महिला केन्द्र (नशामुक्ति केन्द्र संस्कृति रायल पार्क कनुप्रिया नगर राउ इन्दौर)
2	इन्दौर	सदभाव मिशन समिति शाखा इन्दौर, (नशामुक्ति केन्द्र) म.नं. 647 ए, महालक्ष्मी नगर मेनरोड नियर बाब्बे हास्पिटल इन्दौर 452010
3	नीमच	भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा नीमच नशामुक्ति केन्द्र ओ.पी.एम.एण्ड अल्कोलाइड फैक्ट्री केम्पस नीमच
4	जबलपुर	न्यू शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति भोपाल “नव ज्योति नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र” अवधपुरी कॉलोनी, ग्वारीघाट जबलपुर जिला जबलपुर
5	जबलपुर	सदभाव मिशन समिति शाखा कुदवारी कालोनी अमखेड़ा पेट्रोल पंप के पास जिला जबलपुर (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
6	बालाघाट	जिला नशामुक्ति अभियान संगठन बालाघाट युग शक्ति भवन बार्ड नं. 1 भटेरा चौकी बालाघाट (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
7	पन्ना	जन जागरण एवं समाज उत्थान परिषद् होमगार्ड आफिस के पास पन्ना
8	सिवनी	जिला नशामुक्ति अभियान संगठन बालाघाट शाखा जयरथ नाका ईश्वर नगर सिवनी (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
9	विदिशा	अजन्ता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति 53 सॉची मार्ग देवी का वाग के सामने विदिशा
10	भिण्ड	अहिंसा महिला बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य शिक्षा समिति मालनपुर तह. गोहद जिला भिण्ड
11	सीहोर	न्यू प्रताप शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भोपाल, संकल्प नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र “यशोदा कुंज” कस्बा सीहोर
12	रीवा	निवेदिता कल्याण समिति रीवा, नशामुक्ति केन्द्र, सरस्वती स्कूल के पास निराला नगर रीवा
13	दमोह	स्वामी विवेकानन्द सामाजिक उत्थान शिक्षा निकेतन तह. पथरिया जिला दमोह (नशामुक्ति केन्द्र)
14	भोपाल	न्यू प्रताप शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भोपाल, (नशामुक्ति केन्द्र एम. जी.एम. स्कूल के पास अवधपुरी भोपाल)

vii. केन्द्रीय अनुदान से संचालित आउट रीच एण्ड ड्रॉप इन सेंटर (ODIC) सूची

क्रमांक	जिला	अशासकीय संस्था का नाम
1	ग्वालियर	अहिंसा बाल कल्याण, स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार समिति ग्वालियर
2	इंदौर	अंकुर प्रगतिशील महिला केन्द्र शाखा इंदौर
3	सागर	अजंता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति शाखा सागर
4	रीवा	निवेदिता कल्याण समिति मानस नगर वरा रीवा
5	दतिया	अहिंसा बाल कल्याण, स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार समिति ग्वालियर शाखा दतिया
6	भोपाल	अजंता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति शाखा भोपाल
7	जबलपुर	न्यू शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति जबलपुर

viii. केन्द्रीय अनुदान से संचालित कम्युनिटी बेस्ड पियरलेड सेंटर (CPLI) सूची

क्रमांक	जिला	अशासकीय संस्था का नाम
1	ग्वालियर	रमन शिक्षा समिति 135 जय अम्बे अपार्टमेंट मयूर नगर ग्वालियर
2	इंदौर	अंकुर प्रगतिशील महिला केन्द्र शाखा इंदौर
3	जबलपुर	न्यू शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति जबलपुर अनुपम विद्यालय के पीछे सुराही विल्डिंग जबलपुर

ix. DDAC (IRCA, CPLI एवं ODIC एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएँ देने के लिये) सूची

क्रमांक	जिला	अशासकीय संस्था का नाम
1	छिंदवाडा	मातृ सेवा संघ छिंदवाडा
2	गुना	मन मेंटल अवेयरनेस एण्ड नेटवर्किंग जिला गुना
3	मुरैना	अंहिंसा महिला बाल कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार समिति ग्वालियर
4	नरसिंहपुर	जिला नशामुकित अभियान संगठन बालाघाट
5	नर्मदापुरम	न्यू प्रताप शिक्षा समिति भोपाल

ix. जिले के संयुक्त संचालक तथा उप संचालक कार्यालय के दूरभाष नम्बर

क्र.	जिला	अधिकारी का नाम	कोड	दूरभाष	मोबाइल	ईमेल
1.	भोपाल	श्री आर.के. सिंह	0755	2540865	9425459152	pswbho@mp.nic.in
2.	सीहोर	श्री महेश कुमार यादव सहायक संचालक	07562	227039	9981494970	pswseh@mp.nic.in
3.	रायसेन	श्री संजय गहरवाल	07482	222052	9406871686	pswrai@mp.nic.in
4.	राजगढ़	श्री अर्पित कुमार गुप्ता	07372	255259	9893608510	pswraj@mp.nic.in
5.	विदिशा	श्री पंकज जैन	07592	234272	9425638240	ddsjvid@mp.gov.in
6.	नर्मदापुरम	डॉ. बबीता राठौर	07574	253385	9329330105	pswhos@mp.nic.in
7.	बैतूल	सुश्री रोशनी वर्मा सहायक संचालक	07141	234368	9009001247	ddsj.betul@mp.gov.in
8.	हरदा	श्री कमलेश सिंह	07577	225193	9424429944	pswhar@mp.gov.in
9.	इन्दौर	श्रीमती सुचिता तिर्की बेक	0731	2367214	9893860721	pswind@mp.gov.in
10.	धार	डॉ. मारिशा शिंदे	07292	235810	9685170001	pswdha@mp.nic.in
11.	खरगौन	श्रीमती लक्ष्मी गामड़	07282	235019	7697792555	pswkhr@nic.in
12.	खण्डवा	सुश्री निकिता मंडलोई	0733	2223229	7691991762	pswkhd@mp.nic.in
13.	बड़वानी	श्री रोनक सोलंकी, सहायक संचालक	07290	222801	9589625100	pswbar@mp.nic.in
14.	बुरहानपुर	श्री दुर्गेश कुमार दुबे सहायक संचालक	07325	242158	9993544353	ddsw_bpr@rediffmail.com
15.	झाबुआ	श्री पंकज सावले, सहायक संचालक	07392	244285	9644000267	pswjha@mp.nic.in
16.	अलीराजपुर	श्री गणेशप्रसाद अग्रवाल	07394	234405	8839662627	ddsj.alirajpur@mp.gov.in
17.	उज्जैन	श्री साबिर अहमद सिद्दीकी	0734	2510515	9926017866	pswujj@nic.in
18.	देवास	सुश्री संगीता यादव	07272	254928	9407155181	pswdew@mp.nic.in
19.	शाजापुर	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह किरार	07364	226783	9425393893	pswshj@mp.nic.in
20.	रतलाम	श्रीमती संध्या शर्मा	07412	270428	8989448090	ddsjrat@mp.gov.in
21.	मंदसौर	श्री देवकुवर सोलंकी	07422	235203	9329304348	pswmas@mp.nic.in
22.	नीमच	श्री अरविन्द डामोर	07423	257053	9425923409	psjnee@mp.gov.in
23.	आगर मालवा	सुश्री किरण वरवडे	07362	259100	7440883568	ddsj.agar@mp.gov.in
24.	ग्वालियर	श्रीमती उषा पी. शर्मा	0751	2446320	9669207636	pswgwa@mp.nic.in
		श्री शशांक बिराही, सहायक संचालक	-	-	9522882232	-
25.	शिवपुरी	श्री बिजेन्द्र सिंह यादव	07492	233640	9074747485	pswshi@mp.nic.in
26.	गुना	श्री विशाल सिंह	07542	252202	8109448034	pswgun@mp.nic.in
27.	दतिया	श्री कमलेश भार्गव	07522	237259	9425729394	ddsjdatia@gmail.com
28.	मुरैना	श्री आर.के. गोस्वामी	07532	226990	9425069119	pswmor@mp.nic.in
29.	भिण्ड	श्री संजय कुमार जैन	07534	242568	9406731311	ddsj-bhind@mp.gov.in
30.	श्योपुर	सुश्री शशि किरण एकका सहायक संचालक	07530	220572	9171224121	sj.sheopur@mp.nic.in
31.	अशोकनगर	श्री एन.एस. नरवरिया	07543	222461	9826834533	psjash@mp.gov.in

क्र.	जिला	अधिकारी का नाम	कोड	दूरभाष	मोबाईल	ईमेल
		श्री राजेन्द्र प्रजापति, सहायक संचालक	-	-	9893401616	
32.	सागर	श्री धनसिंह यादव सहायक संचालक	07582	223524	9827825978	pswsag@nic.in
33.	दमोह	श्री अर्पित वर्मा	07812	222687	9415929183	pswdam@mp.nic.in
34.	पन्ना	श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी	07732	252058	9424672972	pswpan@mp.nic.in
35.	छतरपुर	श्री राजीव सिंह	07682	246517	9425136317	ddsj.chhatarpur@nic.in
36.	टीकमगढ़	श्री आर.के. पस्तौर	07683	242383	9425404238	pswtik@nic.in
37.	निवाड़ी	श्री राघव पटसारिया	-	-	7000661675	ddsj.niwari@mp.gov.in
38.	जबलपुर	श्री मनोज कुमार सिंह	0761	2625256	9425836597	pswjab@mp.nic.in
		सुश्री सोनम बर्वे सहायक संचालक	-	-	8982612515	-
39.	नरसिंहपुर	श्रीमती अंजना त्रिपाठी	07792	230412	8750559888	pswnar@mp.nic.in
40.	छिन्दवाड़ा	श्री सुधीर कुमार जैन	07162	243426	8319347084	pswchi@mp.nic.in
41.	सिवनी	श्री वीरेश सिंह बघेल	07692	228005	9425446937	pswseo@mp.nic.in
42.	मण्डला	श्रीमती कशमा सराफ	07642	223560	7000655797	pswmal@mp.nic.in
43.	बालाघाट	श्री दितु सिंह	07632	240281	9425438179	pswbal-mp@mp.gov.in
44.	डिण्डोरी	श्री श्यामलाल सिंगौर	07644	234841	8962176970	pswdin@mp.gov.in
45.	कटनी	श्री नायन कुमार सिंह	07622	221250	9424762973	pswkat@mp.nic.in
46.	रीवा	श्री अनिल कुमार दुबे	07662	254095	9425186877	psrew@mp.nic.in
47.	सतना	श्री सौरभ सिंह	07672	224391	9425131721	ddjsat@mp.gov.in
48.	सीधी	श्री राहुल नामदेव धोटे	07822	250282	7898240331	pswsid@mp.nic.in
49.	सिंगराली	श्री अनुराग मोटी	-	-	9424355204	ddsj-singrauli@nic.in
50.	शहडोल	सुश्री प्रज्ञा मरावी सहायक संचालक	07652	245209	7389624054	pswshd@mp.nic.in
51.	उमरिया	श्री राजीव गुप्ता	07653	223027	9425369790	ddsjuma@mp.gov.in
52.	अनूपपुर	श्री के.के. सोनी	07659	222699	8964925890	psjanu@mp.gov.in

.....

नोट्स

